i:ij&6% vid{k.k rFkk vk'okluu

Hkkx&I% mPp f'k{kk mn;ru

¼fo/kk;h l:'kk/ku@lpuk;:@ifji=@fu;e@fofu;eu ikf/kdj.k }kjk tkjh fn'kk&fun:'k½

1- /kk[kk/kMh ij fjikVZ dk dr`Ro;%

I dUnzh; ljdkj dk fjikfVZx&कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के अनुसार, यदि कम्पनी का अंकेक्षक, अंकेक्षक के रूप में अपने कर्तव्य के निष्पादन के दौरान विश्वास करने का कारण है कि कम्पनी में इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा शामिल ऐसी राशि या राशि निर्धारित की जा सकती है की धोखाधड़ी का अपराध किया जा रहा है या प्रतिबद्ध किया गया है, अंकेक्षक मामले को केन्द्र सरकार को, ऐसे समय के भीतर या ऐसे रूप जो निर्धारित किया जा सकता है रिपोर्ट करेगा।

इस संबंध में कम्पनीज (अंकेक्षण तथा अंकेक्षक) नियम, 2014 का नियम 13 निर्धारित किया गया है। इस नियम का उपनियम (1) बताता है कि यदि एक कम्पनी का अंकेक्षक, वैधानिक अंकेक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन के दौरान, विश्वास करने का कारण है कि धोखाधड़ी का अपराध, जिसमें 1 करोड़ या अधिक की राशि व्यक्तिगत रूप से शामिल है या शामिल होने की उम्मीद है, कम्पनी के विरूद्ध उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है या प्रतिबद्ध किया गया है, अंकेक्षक इस मामले को केन्द्र सरकार को रिपोर्ट करेगा।

केन्द्र सरकार को मामले की रिपोर्टिंग इस प्रकार है:

(a) लेखा परीक्षक बोर्ड या अंकेक्षण समिति जैसा मामला है, मामले को धोखाधड़ी की आपनी जानकारी पर तुरंत लेकिन 2 दिनों से अधिक देरी नहीं रिपोर्ट करेगा, उनका जवाब या टिप्पणियां 45 दिनों के भीतर मांग करेगा।

(b) ऐसा जवाब या टिप्पणियां प्राप्त होने पर अंकेक्षक ऐसा जवाब या टिप्पणियां प्राप्त होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट तथा बोर्ड या अंकेक्षण समिति को अपनी रिपोर्ट तथा बोर्ड या अंकेक्षण समिति के जवाब या टिप्पणी पर अपनी टिप्पणी (बोर्ड या अंकेक्षण समिति के जवाब या टिप्पणियों पर) सहित केन्द्र सरकार को 15 दिनों के भीतर भेजेगा।

(c) 45 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर बोर्ड या अंकेक्षण समिति के कोई जवाब या टिप्पणियां प्राप्त करने में अंकेक्षक के विफल रहने की दशा में वह अपनी रिपोर्ट का ब्यौरा नोट शामिल करने के साथ केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेगा जो उसने पहले बोर्ड या अंकेक्षण समिति को भेजी है जिसके लिये उन्हें कोई जवाब या टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

(d) रिपोर्ट मुहरबंद लिफाफे में पावती के साथ पंजीकृत डाक या स्पीट पोस्ट द्वारा बाद में उसकी पुष्टि में ई– मेल द्वारा सचिव, कम्पनी मामलों के मंत्रालय को भेजी जायेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(e) रिपोर्ट डाक पता, ई–मेल पता तथा सम्पर्क टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर युक्त अंकेक्षक के लैटर हैड पर होगी तथा मुहर सहित अंकेक्षक द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा अपनी सदस्यता संख्या भी अंकित करेगा, तथा

(f) रिपोर्ट ADT –4 फॉर्म में निर्दिष्ट विवरण के रूप में होगी।

II vidf{k.k lfefr ;k ckMZ dk fjikfVZx&कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) में आगे प्रावधान है कि निर्दिष्ट राशि (अर्थात् एक करोड़ रू. से कम) से कम की धोखाधड़ी की दशा में, अंकेक्षक धारा 177 के तहत गठित अंकेक्षण समिति या अन्य मामलों में बोर्ड को निर्धारित किये गये समय के भीतर तथा रूप में रिपोर्ट करेगा।

इस संबंध में कम्पनियों (अंकेक्षण तथा अंकेक्षक) नियम, 2014 का नियम 13 का उपनियम (3) व्यक्त करता है कि उपनियम (1) (अर्थात् एक करोड़ रू. से कम) में वर्णित रा ि से कम की धोखाधड़ी के मामले में, अंकेक्षक धारा 177 के तहत गठित अंकेक्षण समिति को या बोर्ड को धोखाधड़ी की अपनी जानकारी होने पर तुंरत लेकिन 2 दिनों के बाद नहीं मामले की रिपोर्ट करेगा तथा वह नीचे निर्दिष्ट किये गये मामले को रिपोर्ट करेगाः

(a) विवरण के साथ धोखाधड़ी की प्रकृति
(b) सम्मिलित अनुमानित राशि; तथा
(c) सम्मिलित पक्षकार।

III ckMZ dh fjikVZ e idVhdj.k% कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) इसके अलावा निर्धारित करती है कि कम्पनियां, जिनके अंकेक्षकों ने इस उपधारा (12) के तहत अंकेक्षण समिति या बोर्ड को धोखाधड़ी रिपोर्ट की है लेकिन केन्द्र सरकार को रिपोर्ट नहीं दी है, निर्धारित किये गये रूप में बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसी धोखाधड़ी के बारे में विवरण को प्रकट करेगा।

इस संबंध में कम्पनियां (अंकेक्षण तथा अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 का उपनियम (4) बताता है कि अंकेक्षक को बोर्ड की रिपोर्ट में वर्ष के दौरान उपनियम (3) के तहत अंकेक्षण समिति या बोर्ड को रिपोर्ट की गयी प्रत्येक धोखाधड़ी के निम्नलिखित विवरण को प्रकट करने की भी आवश्यकता हैः

(a) विवरण के साथ धोखाधड़ी की प्रकृति,
(b) सम्मिलित अनुमानित रा ि,
(c) सम्मिलित पक्षकार, यदि सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी है; तथा
(d) लिये गये सुधारात्मक कार्य।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iiij&6% vidf{k.k rFkk vk'oklu

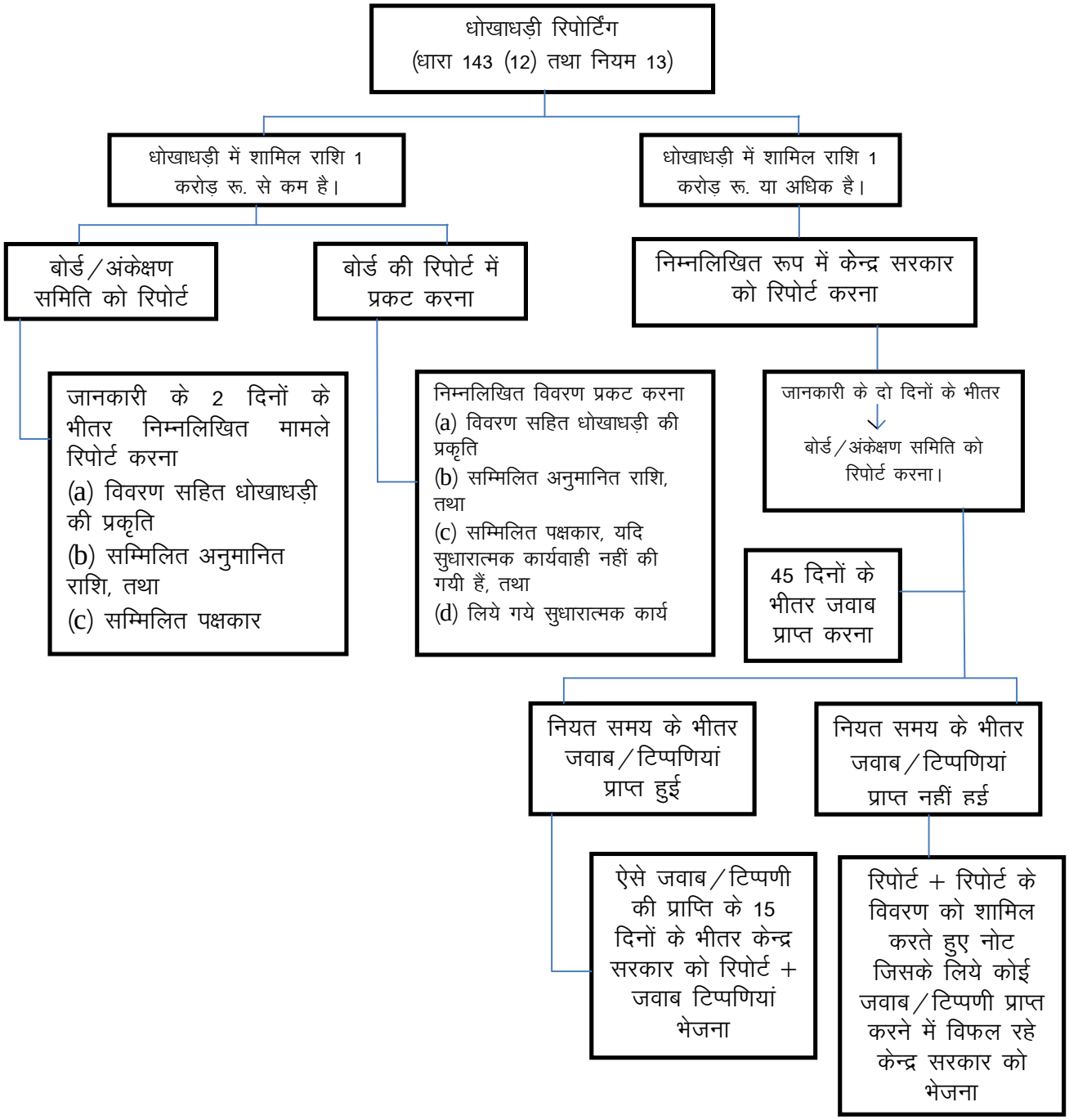

© The Institute of Chartered Accountants of India

i:ij&6% vkd{k.k rFkk vk'oklu

2- dEiuh vkd{k.kksa dh l:[;k ij lhek% कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 141(3)(g) के अनुसार, एक व्यक्ति अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा यदि यह कहीं और पूर्णकालिक रोजगार पर है या एक व्यक्ति या एक फर्म का साझेदार इसके अंकेक्षक के ऊपर में नियुक्ति धारित करता है, यदि ऐसा व्यक्ति या साझेदार ऐसी नियुक्ति या पुनःनियुक्ति की तिथि को अंकेक्षक के रूप में एक व्यक्ति कम्पनियों, निष्क्रिय कम्पनियों, लघु कम्पनियों और 100 करोड़ रू. से कम चुकता पूंजी वाली निजी कम्पनियों के अलावा 20 कम्पनियों से अधिक कम्पनियों के अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति धारित करता है।

3- dEiuh vf/kfu;e] 2013 dh /kkjk 143¼3½¼f½ rFkk ¼h½ dk rgr fjikVZ ij ekxn'kZd ukV%

ifjp;%

1- कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (इसके पश्चात् अधिनियम कहा जाता है) कम्पनियों के अंकेक्षकों की शक्तियों तथा कर्तव्यों के साथ व्यवहार करता हैं अधिनियम की धारा 143(1) अंकेक्षक को अंकेक्षण के दौरान कुछ विशिष्ट पूछताछ करने की आवश्यकता बताती है। अधिनियम की धारा 143(2) अंकेक्षक को उसके द्वारा जांचे गये खातों पर तथा प्रत्येक वित्तीय विवरण जो साधारण सभा में कम्पनी के समक्ष रखे जाते हैं पर कम्पनी के सदस्यों को अपनी रिपोर्ट परस्पर देने की आवश्यकता बताती है। अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) निम्न रूप से प्रदान करता हैः

''(3) अंकेक्षक की रिपोर्ट भी बताती है–

(a) क्या उसके द्वारा मांगी गयी सभी सूचना तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हुई है जो उसके ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार उसके अंकेक्षण के उद्देश्य के लिये आवश्यक थे तथा यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा वित्तीय विवरणों पर इस तरह की सूचना का प्रभाव;

(b) क्या उसकी राय में, कानूनी रूप से अपेक्षित खाते की उचित पुस्तकें कम्पनी द्वारा रखी गयी हैं जैसा कि उन पुस्तकों के उसके परीक्षण से प्रतीत होता है तथा उसके द्वारा दौरा नहीं की गयी शाखाओं से उसके अंकेक्षण के उद्देश्य के लिये पर्याप्त उचित रिटर्न प्राप्त की गयी है;

(c) क्या कम्पनी के अंकक्षेक के अलावा एक व्यक्ति द्वारा उपधारा (8) के तहत अंकेक्षित कम्पनी का कोई भी शाखा कार्यालय के लेखों पर रिपोर्ट उस उपधारा के प्रावधानों के तहत तथा प्रारूप जिसमें वह अपनी रिपोर्ट तैयार करने में इसके साथ व्यवहार करती है, उसे भेजी गयी है;

(d) क्या कम्पनी का चिट्ठा तथा लाभ एवं हानि खाता लेखा पुस्तकों तथा रिटर्न के साथ समझौते में रिपोर्ट के भीतर व्यवहार करती है;

(e) क्या, उसकी राय में, वित्तीय विवरण लेखा मानकों के साथ अनुपालन करते हैं;

(f) वित्तीय व्यवहारों या मामलों पर अंकेक्षकों के निष्कर्ष या टिप्पणियां जिनका कम्पनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव है;

© The Institute of Chartered Accountants of India

(g) क्या कोई निदेशक धारा 164 की उपधारा (2) के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त किये जाने से अयोग्य घोषित किया गया है;

(h) खातों के रख रखाव तथा उनसे संबंधित अन्य मामलों के संबंध में कोई योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी;

(i) क्या कम्पनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली कार्य में है तथा इस तरह के नियंत्रण प्रभावी रूप से संचालित हैं।

(j) ऐसे अन्य मामलों के रूप में निर्धारित किये जा सकते है।

मार्गदर्शक नोट का क्षेत्र

2. यह मार्गदर्शक नोट अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के वाक्य (f) तथा (h) के संबंध में अंकेक्षकों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने का इरादा रखता है। पूर्वकथित उपधारा का वाक्य (f) अंकेक्षक के लिये वित्तीय लेनदेनों या मामलों जिनका कम्पनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पर अंकेक्षक की टिप्पणियों या समीक्षा पर विचार करने की आवश्यकता बनाता है। इस तरह की टिप्पणियां या समीक्षा आमतौर पर वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षक की रिपोर्ट में संशोधन या मामले पर जोर देती है। यह नोट किया जाये कि मामले जो वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षक की रिपोर्ट में संशोधन को बढ़ावा देते हैं वे मामले हैं कि मर्यादित राय, प्रतिकूल राय या राय के खंडन को बढ़ावा देती है।[2] इसके अलावा, मामले, जो उस बात के पैराग्राफ के जोर देने का नेतृत्व करते हैं, वित्तीय विवरणों में उचित रूप से प्रस्तुत या प्रकट किये गये मामले हैं कि अंकेक्षक की राय में, ऐसे महत्व के हैं कि वे उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरणों को समझने में मूलभूत हैं।[3] यदि मामले वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षक की राय को संशोधित करने का नेतृत्व करते हैं या अंकेक्षक की रिपोर्ट में मामले को जारे देते हैं, कम्पनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, अंकेक्षक से ऐसे मामलों की रिपोर्ट करना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के वाक्य (h) के तहत, अंकेक्षक से अपेक्षित है कि क्या कोई मामला मर्यादित, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी के लिये अग्रणी है, वह यह है कि वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षक की रिपोर्ट को संशोधन को प्रभावी है, लेखों तथा उससे जुड़े हुए अन्य मामलों के रखरखाव से संबंधित है।

---

1. कम्पनियां (अंकेक्षण तथा अंकेक्षक) नियम 2014 के नियम 11 को संदर्भित करें।
2. अंकेक्षण पर मानक (SA) 705 को संदर्भ बनाया जा सकता हैं, ''स्वतंत्रण अंकेक्षक की रिपोर्ट में राय का संशोधन''
3. अंकेक्षण पर मानक (SA) 706 के पैराग्राफ 6 तथा 7 को संदर्भ बनाया जा सकता है, ''स्वंतत्र अंकेक्षक की रिपोर्ट में मामले पैराग्राफ तथा अन्य मामले पैराग्राफ पर जोर''

vf/kfu;e dh /kkjk 143¼3½¼f½ d rgr fjikfVZxA

3. अधिनियम की धारा 143(3)(f) के प्रासंगिक उदारण नीचे पुनः प्रस्तुत किये गये हैं :–

'' (3) अंकेक्षक की रिपोर्ट भी बतायेगी –

..... ।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(f) वित्तीय व्यवहारों या मामले जिनका कम्पनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव है पर अंकेक्षक की टिप्पणी या समीक्षा''

4. वाक्य (f) ''वित्तीय व्यवहारों या मामलों जिनका कम्पनी के काम–काज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है पर अंकेक्षक की टिप्पणी या समीक्षा'' पर रिपोर्ट करने की अंकेक्षक से अपेक्षित है। अंकेक्षक की रिपोर्ट अंकेक्षक की राय को संशोधन को अग्रणी मामले या वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षक की रिपोर्ट में मामले के जो को निहित कर सकती है। ऐसे मामले मुद्दों से संबंधित हो सकते हैं जिनका कम्पनी के काम काज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। धारा 143(3) के वाक्य (f) में प्रदर्शित शब्द 'टिप्पणी' या 'समीक्षा' का ''मामले पैराग्राफ का जोर अंकेक्षक की रिपोर्ट में संशोधन को अग्रणी स्थिति'' के संदर्भ में समान अर्थ के लिये लगाये जाते हैं। तद्नुरूप, अंकेक्षक को धारा 143(3) के वाक्य (f) के तहत रिपोर्ट की आवश्यकता के निर्धारण के क्रम में अंकेक्षक की रिपोर्ट में 'टिप्पणी' या 'समीक्षा' करना चाहिए। इसीलिये, वित्तीय विवरणों या मामलों पर अंकेक्षक की केवल ऐसे टिप्पणियां या समीक्षा जो अंकेक्षक द्वारा, अंकेक्षक की रिपोर्ट में की गयी है जिनका कम्पनी के कामकाज पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, इस वाक्य के तहत् रिपोर्ट करना अपेक्षित है। स्पष्टता के लिये, यह उल्लेख किया जा सकता है कि न तो अंकेक्षक की टिप्पणियां और न ही उसके द्वारा की गयी समीक्षा का कम्पनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। अंकेक्षक द्वारा की गयी इन टिप्पणियां तथा समीक्षा मामले हो सकते हैं जिनका कम्पनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।
5. अधिनियम वाक्यांश 'कम्पनी के कामकाज पर बुरा प्रभाव' का अर्थ निर्दिष्ट नहीं करता। अभिव्यक्ति की व्याख्या अर्थ को नहीं की जानी चाहिये कि अंकेक्षक द्वारा देखी गयी कम्पनी के कामकाज को प्रभावित करने वाली कोई भी घटना रिपोर्ट की जानी चाहिये भले ही यह वित्तीय विवरणों को प्रभावित नहीं करती जैसे, वर्ष के दौरान जिससे वित्तीय विवरण संबंधित है अनेक उत्पादों में से एक के निर्माण का लाइसेंस निरस्त होना जहां इस तरह का उत्पाद जो कम्पनी के राजस्व में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं करता। इस तरह की व्याख्या न केवल कम्पनी के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के दायरे से बाहर होगी बल्कि अधिनियम के तहत निहित अंकेक्षण के उद्देश्य तथा अवधारणा के अनुसार भी नहीं होगी। एक और अधिक तार्किक तथा सामंजस्यपूर्ण व्याख्या है कि रिपोर्टिंग आवश्यकता कम्पनी के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के मूल उद्देश्य तथा अवधारणा परिवर्तन का इरादा नहीं रखती जो उस पर राय व्यक्त करने के दृष्टिकोण के साथ वित्तीय विवरणों की जांच करना है।
6. अंकेक्षण का क्षेत्र तथा अंकेक्षण की भूमिका अधिनियम में परिकलित के साथ–साथ भारत की चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स संस्थान द्वारा जारी अंकेक्षण के मानकों (SAs) तथा अन्य संबंधित घोषणाओं के तहत निर्धारित रहता है यानि, रिपोर्टिंग द्वारा वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता बताना कि क्या वे सत्य तथा उचित दृश्य प्रतिबिंबित करते हैं। SA200, स्वतंत्र अंकेक्षक के उद्देश्य तथा अंकेक्षण के मानकों के अनुसार अंकेक्षण का संचालन निर्दिष्ट करता है कि अंकेक्षण का उद्देश्य वित्तीय विवरणों में अभिप्रेत उपयोगकर्ताओं के विश्वास की मात्रा में वृद्धि करना है। यह अंकेक्षक द्वारा अभिव्यक्त की गयी राय पर प्राप्त किया जाता है कि क्या

© The Institute of Chartered Accountants of India

वित्तीय विवरण लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में तैयार किये गये है। SAs के अनुरूप में आयोजित अंकेक्षण तथा प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताएँ अंकेक्षक को उपक्रम की वित्तीय स्थिति परिचालन परिणाम की सत्य तथा उचित दृष्टि की राय बनाने में सक्षम बनाती है। अतः अंकेक्षक की राय, उदाहरण के लिये इकाई की भावी व्यवहार्यता न ही दक्षता या प्रभावशीलता का आश्वासन नहीं देती जिसके साथ प्रबंधन ने इकाई के मामलों का आयोजन किया है। SAs अंकेक्षक से उचित आवश्वासन प्राप्त करने की उपेक्षा करती है कि क्या एक पूरे रूप में वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन भले ही धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण से मुक्त हैं। उचित आश्वासन का उच्च स्तर है। यह प्राप्त किया जाता है जब अंकेक्षक ने स्वीकार्य निम्न स्तर तक अंकेक्षण जोखिम (यानि, जोखिम की अंकेक्षक एक अनुपयुक्त राय व्यक्त करता है जब वित्तीय विवरण महत्वपूर्ण रूप से मिथ्याकथित) कम करने को पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किया है। हालांकि, उचित आश्वासन का एक निरपेक्ष स्तर नहीं है क्योंकि वहां अंकेक्षण की निहित सीमायें हैं जो अधिकांश अंकेक्षण साक्ष्यों का परिणाम हैं जिन पर अंकेक्षक निष्कर्ष निकालता है तथा अंकेक्षक की राय निर्णायक की उल्लेख किया जा सकता है कि SA200 स्पष्ट बताता है कि अहमियत की अवधारणा, अंकेक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षण की योजना बनाने तथा निष्पादन करने, तथा अंकेक्षण की पहचान किये गये मिथ्याकथन के प्रभाव के मूल्यांकन में तथा गैर संशोधित मिथ्याकथन यदि कोई हो दोनों पर लागू किया जाता है।

7. वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के उद्देश्य तथा क्षेत्र में अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) में वाक्य (f) के शामिल किये जाने की वजह से कोई बदलाव नहीं आया है। अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट के माध्यम से वित्तीय विवरणों द्वारा सत्य तथा उचित दृष्टि प्रस्तुत करने पर अपनी राय व्यक्त करता है जिसे निश्चित परिस्थितियों में संशोधित किया जा सकता है। हालांकि, अब अंकेक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट के संशोधन को अग्रणी विषय मामलों का मूल्यांकन करना होगा या निर्णय करने को अंकेक्षक की रिपोर्ट में मामलों को जोर देगा कि उनमें से कौन सा कम्पनी के वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के समग्र संदर्भ में कम्पनी के काम–काज पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इस वाक्य के तहत केवल ऐसे मामलों, जो अंकेक्षक की राय में कम्पनी के काम–काज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, सूचित किये जाने चाहिए। इसके विपरीत, ऐसी मर्यादाएँ या प्रतिकूल राय जो उन मामलों का व्यवहार नहीं करते जिनका कम्पनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं है, इस वाक्य के तहत सूचना देने की आवश्यकता नहीं हैं।
8. जहां तक धारा 143(1) के तहत पूछताछ का संबंध है, अंकेक्षक को इन मामलों पर रिपोर्ट करना आवश्यक नहीं है जब तक कि वह उसमें भेजी गयी किसी भी मद पर कोई टिप्पणी करता है। यदि अंकेक्षक के पास धारा 143(1) में वर्णित किसी भी मामले पर कोई टिप्पणी या समीक्षा है, अंकेक्षक को ऐसी टिप्पणी या समीक्षा पर विचार करना चाहिये जब इस वाक्य के तहत रिपोर्टिंग कर रहा है यदि वे मामले शामिल हैं जिनका कम्पनी के काम–काज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iij&6% vidk{k.k rFkk vk'oklu

9. अंकेक्षक को मामलों का जोर विचार करने में पेशेवर निर्णय लागू करने की आवश्यकता होगी जिनका कम्पनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। सामान्य मामले जो प्रकृति में व्यापक हैं जैसे चालू मामले जिनका कम्पनी के आकार तथा प्रकृति के कारण कम्पनी के परिचालन पर महत्वपूर्ण असर पड़ेगा, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के वाक्य (f) के तहत सूचना की आवश्यकता होगी। मामले के जोर के उदाहरण जिनका कम्पनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, स्थितियों को शामिल करता है जहां :

   - चलायमान संस्थान की मान्यता उपयुक्त है लेकिन महत्वपूर्ण अनिश्चितता के अग्रणी अनेक घटक हैं जो चलायमान संस्थान के रूप में चालू रखने की कम्पनी की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण सन्देह डाल सकता है।
   - मुकदमेबाजी के परिणाम के संबंध में महत्वपूर्ण अनिश्चितता जहां एक प्रतिकूल निर्णय कम्पनी के लिये संसाधनों का एक महत्वपूर्ण बहिर्वाह में परिणाम हो सकता है, इत्यादि। मामले के जोर के उदाहरण जिनका कम्पनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता, स्थितियों को शामिल करता है जहां मामले का जोर है।
   - प्रबंधकीय पारिश्रमिक पर जो केन्द्र सरकार के अनुमोदन के अधीन है;
   - प्रबंधन अनुमान पर आधारित अनुबंधात्मक प्राप्य दावे के उपार्जन के संबंधित जहां मौलिक प्राप्ति अर्जित राशि से कम हो सकती हैं;
   - धोखाधड़ी पर जो कम्पनी के वित्तीय विवरण में साथ पेश किया गया है और वित्तीय विवरणों पर बनाये रखने का कोई प्रभाव नहीं होगा।

10. अन्य मुद्दा जो उत्पन्न होता है क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में धारा 143(3)(i) के तहत अंकेक्षक द्वारा की गयी टिप्पणियां या समीक्षा, जिनका कम्पनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, इस वाक्य के संदर्भ में सूचित किया जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में, यह उल्लेखनीय है कि धारा 143(3)(i) के तहत रिपोर्टिंग अंकेक्षक की रिपोर्ट का एक हिस्सा है, हालांकि यह अंकेक्षक की रिपोर्ट के परिशिश्ट में रिपोर्ट किया जा सकता है। तद्नुरूप, यदि अंकेक्षक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग परा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता या परिचालन, प्रभावशीलता पर टिप्पणी या समीक्षा की जाती है, ऐसे मामालों को शामिल करती है, जो उसकी राय में, कम्पनी के काम काज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, धारा 143(3) के वाक्य (f) के तहत भी रिपोर्ट किये जाने चाहिये भले ही ऐसी टिप्पणी कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षक की राय को संशोधन में परिणित नहीं करती। इस संबंध में एक उदाहरण हो सकता है जहां एक अंकेक्षक रिपोर्ट करता है कि कम्पनी के पास प्राप्ति, उत्पादन के लिये निर्गमन तथा भौतिक सत्यापन के संबंध में स्कंध के लिये उपयुक्त आतंरिक नियंत्रण प्रणाली नहीं है।

vf/kfu;e dh /kkjk 143¼3½¼h½ d rgr fjkfVx

11. अधिनियम की धारा 143(3)(h) के तहत प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किये गये हैं :

© The Institute of Chartered Accountants of India

"(3) अंकेक्षक की रिपोर्ट भी बतायेगी :

(h) खातों के रख–रखाव या उसे जुड़े हुए अन्य मामलों के संबंध में कोई मर्यादा, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी"

12. वाक्य (h) अंकेक्षक को ''खातों के रखरखाव या उससे जुड़े हुए अन्य मामलों के संबंध में कोई मर्यादा, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी'' रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। एक अंकेक्षक की रिपोर्ट वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षक की रिपोर्ट में संशोधन करने को अग्रणी मामलों की सम्मिलित कर सकती है। मामले जो ऐसे संशोधन के कारण कम्पनी द्वारा रखे गये लेखों की पुस्तकों तथा उससे जुड़े हुए अन्य मामलों पर परिणामी प्रभाव या संभावित प्रभाव पड़ सकता है।
13. अधिनियम की धारा 128 बताती है कि प्रत्येक कम्पनी अपनी लेखा पुस्तकें तथा अन्य संबंधित पुस्तकें तथा कागजात तथा वित्तीय विवरण तैयार करेगी तथा रखेगी कि कम्पनी के मामलों का सत्य तथा उचित दृश्य प्रदान करता है। अधिनियम की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों का पालन करेगा। अधिनियम की धारा 2(13) रखे गये रिकॉर्ड के सबंध में ''खाते की पुस्तकों'' को परिभाषित करती हैं –
    (i) कम्पनी द्वारा प्राप्त किये गये तथा व्यय की गयी राशि का कुल योग तथा मामले जिनके संबंध में प्राप्तियां तथा व्यय हुए हैं;
    (ii) कम्पनी द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की सभी बिक्री तथा खरीद;
    (iii) कम्पनी की सभी सम्पत्तियां तथा दायित्व;
    (iv) एक कम्पनी की दशा में धारा 148 के तहत निर्दिश्ट की गयी लागत की मदें जो उस धारा के तहत निर्दिश्ट किसी भी वर्ग की कम्पनियों के अन्तर्गत आती हैं।

    धारा 143(3) का वाक्य (b) अंकेक्षक को यह बताने की आवश्यकता बताता है कि क्या उसकी राय में, कम्पनी द्वारा कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकें रखी गयी हैं, जहां तक उन पुस्तकों की उसके परीक्षण से प्रतीत होता है।

14. धारा 143(3) के वाक्य (h) के तहत रिपोर्ट किये जाने वाले मामलों का अधिनियम के तहत तैयार वित्तीय विवरणों के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिये। यह अधिसूचित/निर्दिश्ट लेखा मानकों के साथ लेखा पुस्तकों और अनुपालना पर अंकेक्षक की अन्य रिपोर्टिंग जिम्मेदारियों के साथ भी संगत है, जो उसके द्वारा धारा 143(3) के तहत रिपोर्ट किये गये हैं। तद्नुरूप इस वाक्य के तहत रिपोर्टिंग तैयार किये गये वित्तीय विवरणों के आधार पर निर्धारित की जाती है।
15. स्वतंत्र अंकेक्षक की रिपोर्ट में राय का संशोधन ''SA705 में संदर्भित किया गया के अनुरूप, धारा 143(3) के वाक्य (h) में उपयोग किये गये शब्द 'मर्यादित' प्रतिकूल राय तथा राय का खंडन के समान विचार किया जाना चाहिए।
16. तद्नुरूप, अंकेक्षक को धारा 143(3) के वाक्य (h) के तहत रिपोर्ट की आवश्यकता होगी कि कोई भी मामला जिसके कारण वित्तीय विवरणों पर मर्यादित, प्रतिकूल टिप्पणी या राय का

© The Institute of Chartered Accountants of India

iiij&6% vidk{k.k rFkk vk'oklu

खंडन है चूंकि इस तरह के मामलों का कम्पनी द्वारा रखी गयी लेखा की पुस्तकों पर प्रभाव होगा या होने की संभावना है।

17. इसके अलावा, धारा 143(3) के वाक्य (h) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता होगी यदि अंकेक्षक ने धारा 143(3) के वाक्य (b) के तहत, क्या कम्पनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित लेखा की उचित पुस्तकें रखी गयी है, से संबंधित कोई टिप्पणी करता है। उदाहरण के लिये, अंकेक्षक धारा 143(3) के वाक्य (b) के तहत लागत अभिलेख के रखरखाव पर टिप्पणी कर सकता है तथा इसका कम्पनी के वित्तीय विवरणों या वित्तीय विवरणो पर अंकेक्षक की राय पर कोई असर नहीं हो सकता था।
18. एक परिणाम के रूप में, धारा 143(3) के वाक्य (b) के तहत रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होगी यदि कोई संशोधन नहीं हैं यानि कोई मर्यादित, प्रतिकूल या राय का खंडन नहीं, तथा धारा 143(3) के वाक्य (b) के तहत कम्पनी द्वारा रखी गयी लेखा पुस्तकों के बारे में इस तरह की कोई टिप्पणी नहीं।
19. चूंकि धारा 143(3) का वाक्य (h) अंकेक्षक से इस वाक्य के तहत रिपोर्ट की अपेक्षा करता है केवल यदि अंकेक्षक की ''कोई मर्यादित, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणी है'', निष्कर्श निकालने को यह उचित है कि अंकेक्षण रिपोर्ट में मामले पैराग्राफ के जोर के तहत मामले को रिपोर्ट करना इस वाक्य के तहत रिपोर्ट करने के लिये विचार करना आवश्यक नहीं है क्योंकि मामले का जोर मर्यादित, आरक्षण (त्याग) या प्रतिकूल टिप्पणी की प्रकृति का नहीं है।
20. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमजोरी जो कि अंकेक्षक द्वारा धारा 143(3) के वाक्य (i) के तहत रिपोर्ट की गयी है का लेखा पुस्तकों के रखरखाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यदि ऐसी महत्वपूर्ण कमजोरी कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर राय के संशोधन में परिणाम नहीं होती। हालांकि, आतंरिक वित्तीय नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमजोरी के परिणामस्वरूप वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षण राय में संशोधिन हुआ है, तब ऐसा संशोधन ऊपर पैराग्राफ 17 मे वर्णित अनुसार धारा 143(3) के वाक्य (h) के तहत रिपोर्टिंग के लिये शामिल किया जा सकता है।
21. इस मार्गदर्शक नोट का परिशिश्ट मामलों पर उदाहरणों को शामिल करता है जो कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)(f) तथा/या धारा 143(3)(h) के तहत रिपोर्टिंग को उत्पन्न करते हैं।

ifjf'k"V

dEiuh vf/kfu;e 2013 dh /kkjk 143¼3½¼f½ rFkk@;k /kkjk 143¼3½¼h½ d rgr fjikfVx dh vko';drk rFkk vidk{k.k fjikV e l'kkf/kr jk; ;k ekey ijkxkQ d tkj d fy;s vk/kkj cuku oky mnkgj.kkRed ekey

mnkgj.k & 1

e;kfnr jk; d fy;s vk/kkj

© The Institute of Chartered Accountants of India

iiij&6% vidf{k.k rFkk vk'oklu

' XXXX(31 मार्च 20yy : 'yyy) पर चिट्ठे में कम्पनी के स्कंध को लिया जाता है। प्रबंधन ने लागत तथा शुद्ध वसूलीयोग्य के न्यूनतम पर स्कंध नहीं बताया है बल्कि उसे पूरी तरह लागत पर बताया है, जो लेखांकन मानक – 2 ''स्कंधों का मूल्यांकन'' से विचलन है। कम्पनी का रिकॉर्ड बताता है कि क्या प्रबंधन ने लागत तथा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के न्यूनतम पर स्कंध, ' XXX की रा ि (31 मार्च 20yy : 'yyy को) स्कंध को उसके शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य के नीचे लिखना आवश्यक बताया है। तद्नुसार बिक्री ' XXX (पूर्व वर्ष समाप्ति 31 मार्च 20yy : 'yyy) से बढ़ जायेगी, तथा आयकर वर्ष के लिये लाभ तथा अंशधारियों के कोष क्रम ः 'X, 'XX तथा 'XXX से बढ़ जायेंगे (पूर्व वर्ष समाप्ति 20yy : 'y, 'yy तथा 'yyy क्रम ः)। यह बात भी 31 मार्च 20yy को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट/पूर्ववर्ती अंकेक्षकों की रिपोर्ट में मर्यादित थी।[4]

---

4. जहां लागू है केवल उन दशाओं में, पिछले वर्ष की संख्याओं का प्रकटीकरण आव यक हैं– पाठकों का ध्यान अंकेक्षण के मानकों के प्रावधान (SA) 710 की ओर आकर्षित किया गया है – तुलानात्मक सूचना – तत्संबंधी समंक तथा तुलनात्मक वित्तीय विवरण।

Ek;fnr jk;

हमारी राय तथा हमारी जानकारी के श्रेष्ठ तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर पैराग्राफ में मर्यादित राय के लिये आधार में वर्णित मामलें के प्रभाव के सिवाय, उक्त स्टैंड अलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा उपेक्षित रूप में जैसा अपेक्षित है जानकारी प्रदान करते हैं तथा भारत में आमतौर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ 31 मार्च 20xx को कम्पनी की हालत तथा उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इसका लाभ/हानि इसके रोकड़ प्रवाह के अनुपालन में सत्य तथा उचित दृष्टिकोण देते हैं।

.....

.....

vU; dkuwuh rFkk fu;ked vko';drkvksa ij fjikVZ

अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित रूप में, हम रिपोर्ट करते हैं कि

(a) हमारे द्वारा मांगी गयी सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त हुये हैं जो हमारे ज्ञान तथा वि वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के उद्दे यों के लिये आव यक थे;

.....

.....

(f) उपरोक्त पैराग्राफ मर्यादित राय के लिये आधार में वर्णित मामले, हमारी राय में, कम्पनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iiij&6% vidf{k.k rFkk vk'oklu

.....

.....

(h) खातों के रखरखाव से संबंधित मर्यादित तथा इससे जुड़े हुए अन्य मामले उपरोक्त पैराग्राफ मर्यादित राय के लिये आधार के रूप में कहे जाते हैं।

mnkgj.k 2#

jk;

हमारी राय तथा हमारी जानकारी के श्रेष्ठ तथ हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार, पूर्वकथित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित रूप में

इस द ा में धारा 143(3)(h) के तहत कुछ भी रिपोर्ट करने योग्य नहीं है। जैसा अपेक्षित है जानकारी प्रदान करते हैं तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ 31 मार्च, 20XX को कम्पनी की हालत तथा इस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इसका लाभ/हानि तथा इसके रोकड़ प्रवाह के अनुपालन में सत्य तथा उचित दृष्टिकोण देते हैं।

ekeyk dk tkj

हम वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं –

(a) वित्तीय विवरणों का नोट x जो xyz कम्पनी द्वारा कम्पनी के विरूद्ध दायर कानूनी वाद के परिणाम के संबंध में अनिश्चितता का वर्णन करता है।

(b) वित्तीय विवरणों में नोट Y जो इंगित करता है कि कम्पनी की संचित हानियां है तथा इसका निबल मूल्य पूरी तरह काफी नष्ट हो गया है। कम्पनी ने चालू तथा पिछले वर्षों के दौरान नकद हानि/शुद्ध नकद हानि अर्जित की है तथा, कम्पनी के चालू दायित्व चिट्ठे की तिथि पर इसकी चालू सम्पत्तियों से अधिक हो गयी है। ये दशाएँ, नोट Y में उल्लिखित मामलों के साथ–साथ महत्वपूर्ण अनिश्चितता की विद्यमानता इंगित करती है जो कम्पनी की चालू रहने की क्षमता के बारे में महत्वपूर्ण शक डालती हैं। हालांकि, कम्पनी के चालू विवरण उपरोक्त नोट में बताये गये कारणों के लिये चालू संस्था आधार पर तैयार किये गये है।

हमारी राय इन मामलों के संबंध में सं ोधित नहीं है।

.....

vU; dkuwuh rFkk fu;ked vko';drkvksa ij fjikVl

अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित रूप में, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

© The Institute of Chartered Accountants of India

iiij&6% vidf{k.k rFkk vk'oklu

.....

(f) उपरोक्त मामलें का जोर पैराग्राफ के तहत उप–पैराग्राफ (b) में वर्णित चालू संस्था मामला, हमारी राय में, कम्पनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इस मामले में धारा 143(3)(h) के तहत कुछ भी रिपोर्ट योग्य नहीं है।

mnkgj.k 3

e;kfnr jk; dh fy;s vk/kkj

XYZ कम्पनी में ABC कम्पनी लिमिटेड का निवे ा, एक विदे ी सहयोगी जिसका निबल मूल्य पूरी तरह/काफी नष्ट कर दिया है, 31 मार्च, 20XX को चिट्ठे में XXX रू0 पर लाया गया है। हम 31 मार्च, 20XX को xyz कम्पनी में ABC कम्पनी लिमिटेड के निवेश की रा ि ले जाने के बारे में पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ थे क्योंकि हमें XYZ कम्पनी की वित्तीय सूचना, प्रबंधन तथा अंकेक्षकों की पहुंच को मना किया गया था। परिणामत:, हम निर्धारित करने में असमर्थ थे कि क्या इन राशियों में कोई समायोजन आवश्यक था।

e;kfnr jk;

हमारी राय तथा हमारी जानकारी के श्रेष्ठ तथा हमें दिये स्पष्टीकरण के अनुसार, मर्यादित राय पैराग्राफ के लिये आधार में वर्णित मामले के सिवाय संभावित प्रभावों[5] के लिये, उक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित रूप में जैसा अपेक्षित है जानकारी प्रदान करते हैं, तथा भारत में, आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिद्धांतों के साथ 31 मार्च 20XX को कम्पनी की हालत तथा उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्श के लिये उसके रोकड़ प्रवाह के अनुपालन में सत्य तथा उचित दृष्टिकोण देते हैं।

vU; dkuwuh rFkk fu;ked vko';drkvksa ij fjikVZ

अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित रूप में, हम रिपोर्ट करते हैं कि

.....

.....

(f) उपरोक्त पैराग्राफ मर्यादित राय के लिये आधार में वर्णित मामले, हमारी राय में, कम्पनी के काम काज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(h) खातों के रखरखाव से संबंधित मर्यादित तथा उससे जुड़े हुए अन्य मामले उपरोक्त पैराग्राफ मर्यादित राय के लिये आधार के रूप में कहे जाते हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iij&6% vid{k.k rFkk vk'oklu

mnkgj.k 4

ifrdy jk; d fy; vk/kkj

कम्पनी की वित्त व्यवस्था का प्रबंध समाप्त हो गया है तथा बकाया रा ि 31 मार्च, 20XX पर देय था। कम्पनी फिर से बातचीत या व्यवस्था बदलने में असमर्थ रही है तथा दिवालियेपन के लिये दायर करने पर विचार कर रही है। ये घटनायें एक महत्वपूर्ण अनि िचतता इंगित करती हैं जो कि कम्पनी को चालू संस्थान की योग्यता पर महत्वपूर्ण संदेह का संकेत दे सकती है तथा अतः यह व्यापार के सामान्य कोर्स में सम्पत्तियों की वसूली तथा देनदारियों के निर्वहन करने में असमर्थ हो सकता है। वित्तीय विवरण (तथा इसके अतिरिक्त नोट्स) इस तथ्य का खुलासा नहीं करते।

5- ukV %&अंकेक्षक के रूप में ''सम्भावित प्रभावो'' शब्द का उपयोग पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साथ प्राप्त करने के अयोग्य था।

ifrdy jk;

हमारी राय में, प्रतिकूल राय पैराग्राफ के लिये आधार में उल्लिखित सूचना की चूक की वजह से, वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 द्वारा अपेक्षित रूप में जैसा अपेक्षित है जानकारी प्रदान नहीं करते तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के साथ 31 मार्च, 20XX को कम्पनी की हालत तथा इस तिथि को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये इसका लाभ/हानि तथा इसके रोकड़ प्रवाह के अनुपालन में सत्य तथा उचित दृष्टिकोण नहीं देते हैं।

.....

vU; dkuuh rFkk fu;ked vko';drkvk ij fjikV

अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित रूप से, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

.....

(f) उपरोक्त पैराग्राफ प्रतिकूल राय के लिये आधार में वर्णित मामले, हमारी राय में, कम्पनी के काम काज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

.....

(h) खातों के रखरखाव से संबंधित प्रतिकूल रिमार्क तथा इससे जुड़े हुए अन्य मामले उपरोक्त पैराग्राफ प्रतिकूल राय के लिये आधार के रूप में कहे जाते हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iz:i&6% vfd{k.k rFkk vk'oklu

mnkgj.k 5

jk; d R;kx d fy;s vk/kkj

हमें 31 मार्च 20X1 के पश्चात् कम्पनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था तथा वर्ष के प्रारंभ तथा अन्त पर भौतिक स्कंध की गणना की समीक्षा नहीं कर सके। तद्नुरूप हम 31 मार्च 20X0 तथा 31 मार्च 20X1 को धारित स्कंध की मात्रा के संबंध में वैकल्पिक साधनों द्वारा अपने आप को संतुष्ट करने में असमर्थ थे, जो चिट्ठे में क्रमशः XXX रू. तथा XXX रू. बताया गया है।

इसके अलावा, सितम्बर 20X0 में नयी कम्प्यूटरीकृत खाते इसके प्राप्य प्रणाली की शुरूआत के फलस्वरूप प्राप्य खातों में कई त्रुटियां हुई हैं। हमारी अंकेक्षण रिपार्ट की तारीख को, प्रबंधन अभी भी प्रणाली की कमियों के सुधार तथा त्रुटियों की सही करने की प्रक्रिया में था। हम 31 मार्च 20X1 को चिट्ठे में XXX रू. की राशि के योग पर शामिल खाते प्राप्य को वैकल्पिक साधनों द्वारा पुष्टि या सत्यापन करने में असमर्थ थे।

इन मामलों के परिणाम के रूप में हम यह निर्धारित करने में असमर्थ थे कि चिट्ठे में तथा लाभ हानि खाते के विवरण या रोकड़ प्रवाह विवरण के तत्वों में तथा खाते प्राप्य के संबंध में क्या कोई समायोजन आवश्यक पाये गये थे।

jk;

पैराग्राफ के त्याग के लिये आधार में वर्णित मामलों के महत्व के कारण, हम अंकेक्षण राय के लिये एक आधार प्रदान करने के पर्याप्त उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहे थे। तद्नुरूप, हम वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त नहीं करते।

vU; dkuwuh rFkk fu;ked vko';drkvksa ij fjikVZ

अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित रूप से, हम रिपोर्ट करते हैं कि

.....

.....

(f) उपरोक्त पैराग्राफ राय के त्याग के लिये आधार में वर्णित मामले, हमारी राय में, कम्पनी के काम काज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

.....

(h) खातों के रखरखाव से संबंधित आरक्षण तथा इससे जुड़े हुए अन्य मामले उपरोक्त पैराग्राफ राय के त्याग के लिये आधार के रूप में कहे जाते हैं।

4- dEifu;ksa ¼vfd{kd dh fjikVZ½ vkns'k] 2016 ¼**CARO, 2016**½ d rgr fjikfVZx %
कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 143 की उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त

© The Institute of Chartered Accountants of India

ijh&6% vfdkj rFkk vk'okluu

शक्तियों के उपयोग और भारत के राजपत्र में प्रकाशित कम्पनियां (अंकेक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2015 के अधिक्रमण असाधारण, भाग II धारा 3, उपधारा (ii) क्रमांक S.O. 990 (E) दिनांक 10 अप्रैल 2015 में ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किये गये या लोप किये गये कार्यों के सिवाय, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (11) के प्रावधानों के तहत गठित समिति के साथ परामर्श के बाद 29 मार्च 2016 को निम्नलिखित आदेश एतद् द्वारा बनाता हैं।

I lf{kIr uke] vkoUnu vkj izkjEHk

(1) यह आदेश कंपनियां (अंकेक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 कहा जा सकता है।

¼2½ vkn'k dk ykxw gksuk % CARO, 2016 एक अतिरिक्त रिपोर्टिंग आवश्यकता आदेश है। आदेश कम्पनी अधिनियम, 2013 (बाद में कम्पनी अधिनियम के रूप में माना जायेगा) की धारा 2 के वाक्य (42) में परिभाषित एक विदेशी कम्पनी सहित हर कम्पनी पर लागू होता है।

gkykfd] vkn'k fo'k"k :Ik ls dEifu;ksa dk fuEufyf[kr oxZ dks NwV nsrk gS &

(i) बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1999 (1949 का 10) की धारा 5 के वाक्य (C) में परिभाषित के रूप में, एक बैंकिंग कम्पनी;
(ii) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के तहत परिभाषित के रूप में एक बीमा कम्पनी;
(iii) कम्पनी अधिनियम की धारा 8 के तहत संचालन को लाइसेंस प्राप्त कम्पनी;
(iv) कम्पनी अधिनियम की धारा 2 के वाक्य (62) के तहत परिभाषित के रूप में एक व्यक्ति कम्पनी तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 2 के वाक्य (85) के तहत परिभाषित के रूप में एक लघु कम्पनी, तथा
(v) एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, एक सार्वजनिक कम्पनी की सहायक या सूत्रधारी कम्पनी नहीं, चिट्ठे की तिथि को चुकता पूंजी तथा संचय एवं अधिक एक करोड़ रू. से अधिक नहीं तथा वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पर किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कुल उधारी एक करोड़ रू. से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा वित्तीय विवरणों के अनुसार वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में प्रकट किया गया कुल राजस्व (बंद परिचालन से राजस्व सहित) 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिये।

© The Institute of Chartered Accountants of India

ijk&6% vdsk.k rFkk vk'oklu

NV ikIr dEifu;k

II **ijkxkQ 3 rFkk 4 esa fufn"V ekeyksa 'kkfey vdsk{kd dh fjikVZ &** अंकेक्षक द्वारा उसके द्वारा अंकेक्षित प्रत्येक कम्पनी के लेखों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनायी गयी प्रत्येक रिपोर्ट जिन पर यह आदेश लागू होता है, 1 अप्रैल, 2015 को या पश्चात् प्रारंभ होने वाले वर्ष के लिये, इसके अलावा में, पैराग्राफ 3 व 4 में विनिर्दिष्ट मामलों को शामिल रूप में लागू हो सकता है:

यह नोट किया जाये कि आदेश समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर लागू नहीं होगा।

III **vdsk{kd dh fjikVZ esa 'kkfey fd;s tkus okys ekeys &** कम्पनी के लेखों पर अंकेक्षक की रिपोर्ट जिस पर आदेश लागू होता है निम्नलिखित मामलों पर एक विवरण शामिल होगा, अर्थात् :–

(i) (a) क्या कम्पनी मात्रात्मक विवरण तथा अचल सम्पत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड कायम रख रही हैं,

(b) क्या ये अचल सम्पत्तियां प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर भौतिक रूप से सत्यापित की गयी हैं, क्या ऐसे सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां गौर की गयी हैं तथा यदि हां, क्या वे लेखा पुस्तकों में ठीक प्रकार पेश की गयी है,

© The Institute of Chartered Accountants of India

(c) क्या अचल सम्पत्तियों के अधिकार दस्तावेज कम्पनी के नाम में रखे गये हैं, यदि नहीं, तत्संबंधी ब्यौरा प्रदान करें।

(ii) क्या स्कंध का भौतिक सत्यापन प्रबंधन द्वारा उचित अंतराल पर आयोजित किया गया है तथा क्या किसी तरह की सामग्री की विसंगतियां देखी गयी है तथा यदि हां, क्या वे लेखा पुस्तकों मे ठीक प्रकार पेश की गयी है।

(iii) क्या कम्पनी ने कम्पनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के तहत बनाये रखे गये रजिस्टर में आवर्त अन्य पक्षकारों को कोई ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित स्वीकृत किया है, यदि हां,

(a) क्या ऐसे ऋण को स्वीकृत करने के नियम तथा शर्तें कम्पनी के हित के प्रतिकूल नहीं हैं,

(b) क्या मूलधन के पुनर्भुगतान तथा ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गयी है, तथा पुनर्भुगतान या प्राप्तियां नियमित हैं,

(c) यदि राशि बकाया है, 90 दिनों से अधिक के लिये बकाया कुल राशि बताइये तथा क्या मूलधन तथा ब्याज की वसूली के लिये कम्पनी द्वारा उचित कदम उठाये गये हैं,

(iv) ऋणों, निवेश, गारण्टी तथा प्रतिभूति के संबंध में क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 के प्रावधानों का पालन किया गया है। यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा प्रदान करें।

(v) कम्पनी द्वारा जमाओं को स्वीकार करने की दशा में, क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों या अन्य किसी प्रासंगिक प्रावधानों तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, जहां लागू हैं, का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो इन उल्लंघनों की प्रकृति का वर्णन करें, यदि कम्पनी लॉ बोर्ड या राष्ट्रीय कम्पनी कानून न्यायाधिकरण या भारतीय रिजर्व बैंक या कोई भी अदालत या अन्य कोई न्यायाधिकरण द्वारा आदेश पारित किया गया है, क्या उसकी पालना की गयी है या नहीं?

(vi) क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा लागत अभिलेखों का रखरखाव निर्दिष्ट किया है तथा क्या खातों तथा अभिलेखों को इस तरह बनाये रखा गया है।

(vii) (a) क्या कम्पनी भविश्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर तथा अन्य सांविधिक देय राशि सहित निर्विवाद सांविधिक देय राशि नियमित रूप से उपयुक्त अधिकारियों को जमा करा रही है, तथा यदि नहीं, संबंधित वित्तीय वर्श के अन्तिम दिवस को उनके देय होने से 6 माह से अधिक की अवधि के लिये बकाया सांविधिक देय रा ि की मात्रा को इंगित किया जायेगा।

(b) जब आयकर या बिक्री या सेवा कर सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर का बकाया किसी भी विवाद के कारण जमा नहीं कराया गया है, तब सम्मिलित

© The Institute of Chartered Accountants of India

राशि तथा मंच, जहां विवाद लंबित है, उल्लेख किया जायेगा। (संबंधित विभाग को केवल निरूपण विवाद के रूप में नहीं माना जायेगा)।

(viii) क्या कम्पनी वित्तीय संस्थान, बैंक को ऋण या उधार की अदायगी या ऋणपत्रधारकों को बकाया की अदायगी में चूक गयी है? यदि हां, तो अवधि तथा चूक की राशि को सूचित किया जाना चाहिये (बैंक, वित्तीय संस्थान तथा सरकार को चूक की दशा में ऋणदातावार विवरण दिया जाना है।)

(ix) क्या धन, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम या भावी सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) तथा अवधि के ऋण के माध्यम से लिया गया है, को जिस उद्देश्य के लिये इसे लिया गया है, उस उद्देश्य के लिये उपयोग किया गया है। यदि नहीं, देरी या चूक तथा अनुवर्ती संशोधन के साथ यदि कोई हों, विवरण सहित, जैसा लागू किया जा सकता है, रिपोर्ट किया जायेगा।

(x) क्या कम्पनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या इसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा कम्पनी पर कोई धोखाधड़ी वर्ष के दौरान देखी गयी है या रिपोर्ट की गयी है, यदि हां, सम्मिलित राशि तथा प्रकृति को इंगित किया जायेगा।

(xi) क्या प्रबंधकीय पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है या कम्पनी अधिनियम की धारा 197 के प्रावधानों अनुसूची v के साथ पढ़े द्वारा अनिवार्य अपेक्षित मंजूरी के अनुरूप प्रदान की गयी है? यदि नहीं, शामिल रा ि तथा इसकी वापसी सुनि चित करने के लिये कम्पनी द्वारा उठाये गये कदमों को बतायें।

(xii) क्या निधि कम्पनी दायित्व पूरा करने को 1:20 के अनुपात में शुद्ध स्वामित्व कोष से जमायें के साथ पालन किया गया है तथा क्या निधि कम्पनी दायित्व पूरा करने को निधि नियमावली, 2014 में निर्दिष्ट के रूप में दस प्रतिशत भार रहित सावधि जमा बनाये रख रही है।

(xiii) क्या संबंधित पक्षकारों के साथ सभी लेनदेन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 177 तथा 188 जहां लागू है के साथ अनुपालन में हैं तथा लागू लेखा मानकों द्वारा आवश्यक विवरण वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।

(xiv) क्या कम्पनी ने समीक्षा के तहत वर्ष के दौरान कोई अधिमान्य आबंटन या अंशों या पूर्ण या आंशिक परिवर्तनीय ऋणपत्रों का निजी तौर पर शेयर आबंटन किया है तथा यदि ऐसा है, क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 की आव यकताओं का पालन कियाा गया है तथा एकत्रित की गयी रा ि का उपयोग उस उद्दे य के लिये किया गया है जिसके लिये कोष एकत्रित किये गये हैं। यदि नहीं, तो सम्मिलित रा ि तथा गैर–अनुपालन की प्रकृति के संबंध में जानकारी प्रदान करें।

(xv) क्या कम्पनी के निदेशकों या उनके साथ जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकद लेनदेन किया गया है तथा यदि ऐसा है, क्या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

(xvi) यदि कम्पनी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–IA के तहत पंजीकृत किया जाना आवश्यक है तथा यदि ऐसा है, क्या पंजीकरण प्राप्त किया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

i:ij&6% vid{k.k rFkk vk'oklu

IV ifrdy ;k e;kfnr mÙkjk d fy;s o.ku fd;s tkus oky dkj.k

(1) जहां, अंकेक्षण रिपोर्ट में, पैराग्राफ 3 में निर्दिश्ट कोई भी प्रश्न का उत्तर प्रतिकूल या मर्यादित है, अंकेक्षक की रिपोर्ट में इस तरह के प्रतिकूल या मर्यादित जबाव के लिये आधार का भी वर्णन किया जायेगा, जैसा भी मामला हो सकता है।

(2) जहां अंकेक्षक किसी भी निर्दिश्ट मामले पर अपनी राय व्यक्त करने में असमर्थ है, उसकी रिपोर्ट कारणों के साथ ऐसे तथ्य इंगित करेगी कि उसके लिये उस पर अपनी राय देना क्यों संभव नहीं है।

5. dEifu;k ¼ykxr fjdkMZ rFkk vid{k.k½ fu;e] 2014 % केन्द्र सरकार ने कम्पनियों (लागत रिकॉर्ड तथा अंकेक्षण) नियम, 2014 दिनांक 31 दिसम्बर 2014 संशोधित किया है जो लागत अंकेक्षण रिकॉर्ड के रख–रखाव इत्यादि की प्रयोज्यता, अपनी लेखा पुस्तकों में लागत शामिल करने को आवश्यक कम्पनियों के वर्ग निर्धारित करता है।

Ykkxr vfHkys[kksa dk j[kj[kko % कम्पनियां (लागत रिकॉर्ड तथा अंकेक्षण) नियम, 2014 का नियम 3 वस्तुओं के उत्पादन या सेवायें प्रदान करने में संलग्न, तुरन्त पिछले वित्तीय वर्श के दौरान इसके सभी उत्पादों तथा सेवाओं से 35 करोड़ रू. या अधिक की कुल बिक्री होने वाली कम्पनियों के उनकी लेखा पुस्तकों में लागत रिकॉर्ड शामिल करने को आव यक वर्ग प्रदान करता है। ये कम्पनियां अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (42) में परिभाशित विदे ाी कम्पनियों को भामिल करती हैं, लेकिन सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रदान कारोबार मापदण्ड के अनुसार सहित सूक्ष्म उपक्रम या लघु उपक्रम के रूप में वर्गीकृत कम्पनी को शामिल नहीं करता है।

उपरोक्त नियम ने कम्पनियों की सूची को नियामक क्षेत्रों तथा गैर–नियामक क्षेत्रों में विभाजित किया हैं। उपरोक्त नियम के तहत निर्धारित कुछ कम्पनियां/उद्योग/क्षेत्र/उत्पाद/सेवा नीचे दिये गये हैं :–

(A) fu;ked {k= &

(i) उपयोगकर्ताओं को दूरसंचार सेवायें किसी भी संचरण या संकेतों, छवियों इत्यादि (प्रसारण सेवाओं के अलावा) ग्रहण करने के माध्यम द्वारा उपलब्ध कराया है तथा भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया।

(ii) बंदी उत्पादन के अलावा, विद्युत का उत्पादन, प्रसारण वितरण तथा आपूर्ति विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत प्रासंगिक नियामक निकाय या प्राधिकरण द्वारा विनियमित की जाती है।

(iii) पैट्रोलियम उत्पाद पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा विनियमित किये जाते हैं।

(iv) औश्धि तथा औश्धियां।

(v) उर्वरक।

(vi) चीनी तथा औद्योगिक अल्कोहल।

© The Institute of Chartered Accountants of India

i:i j&6% vd{k.k rFkk vk'oklu

(B) x:j&fu;ked {k= &

(i) किसी भी सहायक मद या मदों को छोड़कर रक्षा, अंतरिक्ष तथा परमाणु ऊर्जा क्षेत्रों में उपयोग की जाने वाली मशीनरी या यांत्रिक उपकरण

(ii) टर्बो जैट तथा टर्बो प्रोपेलर

(iii) टायर और ट्यूब

(iv) इस्पात

(v) सीमेंट

(vi) निम्नलिखित चिकित्सा उपकरणों का उत्पादन, आयात तथा आपूर्ति या व्यापार जैसे हृदय वाल्ब, आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण, पेसमेकर (अस्थाई और स्थाई) इत्यादि। नियम केवल संपर्क कार्यालय रखने वाली विदे ाी कम्पनियों को भ्ामिल नहीं करता।

कम्पनियां (लागत रिकॉर्ड्स तथा अंकेक्षण) नियम, 2014 के नियम 5 के अनुसार, इन नियमों के तहत प्रत्येक कम्पनी, उसकी सभी इकाइयों तथा भ्ाखाओं सहित, इनके प्रत्येक के वित्तीय वर्श के संबंध में, को फार्म CRA–1 में लागत रिकार्ड बनाये रखना आव यक हैं। लागत रिकॉर्ड नियमित आधार पर ऐसे ढंग से बनाये रखना होगा कि उत्पादन की प्रति इकाई लागत या परिचालन की लागत, मासिक या त्रैमासिक या अर्द्धवार्शिक या वार्शिक आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्श के लिये इसके उत्पादों तथा क्रियाओं के प्रत्येक के लिये विक्रय की लागत तथा लाभ की गणना की सुविधा हो।

इसके अतिरिक्त, CARO, 2016 के पैराग्राफ 3 के वाक्य (vi) के अनुसार, जहां लागत रिकॉर्ड का रखरखाव कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत सरकार द्वारा निर्दिश्ट किया गया है, अंकेक्षक को रिपोर्ट देनी होगी क्या ऐसे खाते तथा रिकॉर्ड बनाये तथा रखे गये हैं।

ykxr vd{k.k dh i:;kT;rk % कम्पनियां (लागत रिकॉर्ड तथा अंकेक्षण) नियम, 2014 का नियम 4 कम्पनी की कुल बिक्री पर आधारित लागत अंकेक्षण की प्रयोज्यता से संबंधित प्रावधान निम्न प्रकार बताता है :

(i) मद (A) के तहत निर्दिश्ट कम्पनियों की श्रेणी ''विनियमित क्षेत्रों'' को अपने लागत रिकॉर्ड्स को अंकेक्षित कराना आव यक है यदि तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी का कुल सालाना कारोबार इसके सभी उत्पादों तथा सेवाओं से 50 करोड़ रू. या अधिक हैं तथा अकेले उत्पाद या सेवा, जिसके लिये लागत रिकॉर्ड रखना नियम 3 के तहत आव यक है, का कुल कारोबार 25 करोड़ रू. या अधिक है।

(ii) मद (B) के तहत निर्दिश्ट कम्पनियों को अंकेक्षित की श्रेणी ''गैर–विनियमित श्रेणी'' को अपने लागत रिकॉर्ड्स को अंकेक्षित कराना आव यक है यदि तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्श के दौरान कम्पनी का कुल सालाना कारोबार इसके सभी उत्पादों तथा सेवाओं से 100 करोड़ रू. या अधिक है तथा अकेले उत्पाद या सेवा, जिसके लिये लागत

© The Institute of Chartered Accountants of India

iiij&6% vidk{k.k rFkk vk'oklu

रिकॉर्ड रखना नियम 3 के तहत आव यक है, का कुल कारोबार 35 करोड़ रू. या अधिक है।

ykxr vidk{kd dk dk;kZy; e vkdfLed fjfDr % लागत अंकेक्षक के कार्यालय में कोई भी आकस्मिक रिक्ति, चाहे इस्तीफा, मृत्यु या हटाने की वजह से, इस तरह की रिक्ति की घटना के 30 दिनों के भीतर निदे ाक मंडल द्वारा भरी जायेगी तथा कम्पनी लागत अंकेक्षक की ऐसी नियुक्ति के 30 दिनो के भीतर फार्म CRA–2 में केन्द्र सरकार को सूचित करेगी।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iizi j&6% vad{k.k rFkk vk'oklu

Hkkx &II % iz'u rFkk mÙkj

iz'u

1. कारण (संक्षेप में) सहित बताइये क्या निम्नलिखित कथन सही हैं या गलत हैं :
   (i) कम्पनी सदस्यों द्वारा संपुष्टि के लिये अंकेक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामले केवल 5वीं वार्षिक साधारण सभा में रखेगी।
   (ii) कम्पनी में एक अंकेक्षक को अंकेक्षक के रूप में उसे नियुक्त करने के लिये लिखित सहमति की कोई जरूरत नहीं है।
   (iii) निर्बलता का पत्र प्रबंधन द्वारा जारी किया जाता है।
   (iv) कम्पनी के प्रत्येक अंकेक्षक को केवल कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में रखे गये कम्पनी की लेखा पुस्तकें तथा वाउचर हर समय उपयोग का अधिकार होगा।
   (v) बैंक समाधान विवरण की समीक्षा अंकेक्षण तकनीकों में से एक है।
   (vi) कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत नियुक्त उत्तरवर्ती अंकेक्षकों का पारिश्रमिक मण्डल वित्तीय वर्ष के लिये वित्तीय विवरण कम्पनी के समक्ष रखेगा।
   (vii) एक कम्पनी के हर सालाना आम बैठक में कम्पनी के निदेशक मंडल ने कम्पनी से पहले वित्तीय वर्ष के लिए वित्तीय बयान रखे।
   (viii) क्रय बीजक आन्तरिक सबूत का एक उदाहरण है।
   (ix) समीक्षा कार्य पर मानक (SREs) ऐतिहासिक वित्तीय सूचना के अंकेक्षण में लागू किया जायेगा।
   (x) जांच सूची प्रणाली पूर्ण तथा विस्तृत विवरण है जैसा अंकेक्षक द्वारा परिचालन में पाया जाता है।

vad{k.k dh izdfr

2. (a) स्थितियों या घटनाओं या संक्षिप्त उल्लेख करें जो वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से धोखाधड़ी या अशुद्धि की जोखिम बढ़ाने में प्रमुख हैं।
   (b) ''अंकेक्षण की प्रक्रिया इस तरह की है कि यह कुछ सीमाओं से ग्रस्त है जो अंकेक्षण प्रक्रिया की प्रकृति तथा सीमा की परवाह किये बगैर दूर नहीं की जा सकती''। समझाइये।
3. (a) अंकेक्षक अंकेक्षण के दौरान पे ोवर संदेह के एक दृष्टिकोण को बनाये रखने के लिये जिम्मेदार है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं?
   (b) ''स्वतंत्र अंकेक्षक द्वारा लेखों का अंकेक्षण होने पर, अन्य लाभों के मध्य, धोखाधड़ी करने से कर्मचारियों पर एक नैतिक जांच के रूप में कार्य करता है।'' स्वतंत्र अंकेक्षण के लाभों का वर्णन करते हुए समझाइये।
4. (a) ''अंकेक्षक से समग्र आर्थिक वातावरण जिसमें उसका मुवक्किल काम कर रहा है के साथ परिचित होने की उम्मीद है।'' चर्चा करें।
   (b) परिचालन परिस्थितियों के छः उदाहरण दीजिये जो सुनाम प्रतिष्ठान मान्यता के बारे में सन्देह डाल सकते है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iir&6% vad{k.k rFkk vk'oklu

vad{k.k e cfu;knh voèkkj.kk,a

5. ''लेनदेन की श्रेणियों, खाता शेषों तथा प्रकटीकरण के लिये अभिकथन स्तर पर महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की जोखिम पर विचार करने की आव यकता है।'' अंकेक्षक द्वारा प्रयोग किये जाने वाले अभिकथनों की विभिन्न श्रेणियां बताते हुए वर्णन कीजिये।
6. (a) ''कुल लेखांकन अनुमान अपेक्षाकृत कम आंकलन की अनि चितता को शामिल करते हैं तथा महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों की कम जोखिम की वृद्धि कर सकता है जबकि कुछ लेखांकन अनुमानों के लिये वहां अपेक्षाकृत उच्च अनुमान अनि चितता हो सकती है वि ोष रूप से जहां वे महत्वपूर्ण मान्यताओं पर आधारित हैं।'' उदाहरण देकर समझाइये।
   (b) ''सत्य तथा निष्पक्ष'' की अवधारणा की चर्चा करें।
7. (a) अंकेक्षण राय बनाने के लिये पर्याप्त उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने को अंकेक्षण प्रक्रिया के रूप में नियंत्रणों तथा मूल प्रक्रियाओं की कसौटी का वर्णन कीजिए।
   (b) अंकेक्षण कार्यपत्र अंकेक्षक की रिपोर्ट तथा ग्राहक के रिकॉर्ड के मध्य लिंक का गठन करते हैं। अंकेक्षण कार्यपत्रों के उद्दे यों को स्पष्ट रूप से वर्णन करें।

vad{k.k dh fy;s r;jh

8. (a) SA 530 के प्रका ा में बानगी की विधियों की चर्चा करें।
   (b) कोई से चार क्षेत्रों का उल्लेख करें जहां औचक निरीक्षण अंकेक्षण की प्रभावशीलता को काफी सुधार सकते हैं।
9. (a) ''SA 320'' अंकेक्षण की योजना तथा प्रद र्शन में महत्व, ''महत्व की अवधारणा तथा अंकेक्षण जोखिम के साथ संबंध पर मानक स्थापित करता है जब अंकेक्षण का आयोजन करता है। इसीलिये, अंकेक्षक महत्वपूर्ण मदों के समर्थन में अधिक वि वसनीय सबूत की अपेक्षा करता है।'' समझाइये।
   (b) अंकेक्षण साक्ष्य के संग्रह तथा संचय के लिये, कुछ विधियां तथा साधन उपलब्ध हैं तथा इन्हें अंकेक्षण तकनीक के रूप में जाना जाता है। अंकेक्षकों द्वारा सामान्यतः अपनायी जाने वाली कुछ तकनीकों का वर्णन कीजिये।

vkUrfjd fu;a=.k

10. (a) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की आपकी फर्म को भारतीय स्टेट बैंक की 4 शाखाओं का सूचना प्रणाली अंकेक्षण आबंटित किया गया है। आप कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली में आतंरिक नियंत्रण प्रणाली की वि वसनीयता का आकलन कैसे करेंगे?
    (b) महत्वपूर्ण आव यकताओं का वर्णन कीजिये जो सेवा ब्यूरो पर आवेदन प्रक्रिया के लिये आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली स्थापित करने या मूल्यांकन करने को ध्यान में रखे जाने चाहिये।
11. (a) आंतरिक जांच की एक प्रणाली तैयार करने में शामिल वि ोष चरणों को समझाइये।
    (b) अंकेक्षण चिंह क्या हैं? कम्प्यूटर को एक अंकेक्षण उपकरण के रूप में उपयोग करते हुए वि ोष अंकेक्षण तकनीकों को संक्षेप में बातइये।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iiij&6% vdk{k.k rFkk vk'oklu

lEifRRk;ksa rFkk nkf;Roksa dh okmfpx rFkk lR;kiu

12. (a) ''यह आवश्यक है कि एक अवधि के लेन–देनों को सुनिश्चित अवधि में उनसे अलग किया जाये ताकि प्रत्येक अवधि के कार्यचालन के परिणामों को सही ढंग से निर्धारित किया जा सके।'' समझाइये।

    (b) ''अंकेक्षिति द्वारा वर्ष के अंतिम दिवस पर प्राप्त किये गये चैकों की कोई प्रविष्टि नहीं की गयी तथा अभी तक बैंक के पास जमा नहीं किये गये। अपनी टिप्पणियां तथा अवलोकन कीजिये।

13. आप निम्नलिखित को सत्यापित/साक्ष्य कैसे करेंगे :
    (a) आकस्मिक दायित्व।
    (b) चालानी पर माल भेजा।
    (c) विक्रय कमीशन व्यय
    (d) बंदोबस्ती नीतियां।
14. विचार किये जाने वाले तत्वों का वर्णन कीजिये जबकि यात्रा व्ययों की वाउचिंग करनी है।

dEiuh vdk{k.k

15. (a) एक गैर–सरकारी कम्पनी के पहले अंकेक्षक की नियुक्ति के बारे में कम्पनी अधिनियम, 2013 में समाहित प्रावधानों पर चर्चा करें।

    (b) ''अंकेक्षकों'' के नियमित आवर्तन के बारे में प्रावधान कम्पनियों के केवल विशिष्ट वर्ग को प्रभावित करते हैं।'' चर्चा करें।

16. परिस्थितियों का वर्णन करें जो निम्नलिखित में से कोई अंकेक्षक की रिपोर्ट में अग्रणी हो सकता है :
    (a) राय का संशोधन
    (b) राय का खंडन
    (c) प्रतिकूल राय
    (d) मर्यादित राय
17. (a) एबीसी लिमिटेड ने केन्द्र सरकार की अनुमति प्राप्त किये, बिना अपने पहले अंकेक्षक को उसका कार्यकाल समाप्ति से पहले पदच्युत कर दिया। टिप्पणी करें।

    (b) बट्टे पर अंशों के निर्गमन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों की संक्षिप्त चर्चा करें।

    (c) अंकेक्षक मि0 X की मृत्यु के कारण एक्स वाई जेड लिमिटेड के अंकेक्षक के कार्यालय में एक रिक्ति पैदा हुई तथा कम्पनी के प्रबंध निदेशक ने उस रिक्ति को भर दिया। कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का हवाला देते हुऐ, टिप्पणी कीजिये।
18. (a) चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स की एक फर्म श्री एंड कम्पनी को अराधना कम्पनी लिमिटेड के वैधानिक अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। सारंग कम्पनी लिमिटेड में अराधना कम्पनी लि0 50 प्रतिशत अंश अधिकार रखती है। श्री एंड कम्पनी के भागीदारों में एक मि0

© The Institute of Chartered Accountants of India

iz'u&6% vads{k.k rFkk vk'oklu

श्री सारंग कम्पनी लिमिटेड के नियुक्ति की तिथि को व्यापार के सामान्य प्रकार में खरीदे गये सामान के लिये 1500 रू. का बकाया है। टिप्पणी कीजिये।

(b) अंकेक्षण समिति प्रत्येक और हरेक कम्पनी द्वारा गठित की जाती है तथा अंकेक्षक को इस तरह की अंकेक्षण समिति की बैठक में मतदान का अधिकार है। टिप्पणी कीजिये।

(c) ''CARO, 2016 सभी कम्पनियों पर लागू होता है।'' चर्चा कीजिये।

fo'k"k vads{k.k

19. (a) एक सरकारी कम्पनी के अंकेक्षण में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा क्या भूमिका निभायी जाती है?

(b) ''भंडार तथा स्कंध के खातों का अंकेक्षण नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को सौंपे गये कर्तव्य तथा जिम्मेदारियों के संदर्भ में व्यय अंकेक्षण के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है।'' चर्चा करें।

20. एक धर्मार्थ संस्थान के चल रहे अस्पताल के आय तथा व्यय के अंकेक्षण में आप द्वारा जांचे किये जाने वाले किन्हीं दस वि ोष बिंदुओं का उल्लेख कीजिए।

l>k;d x;s mRrj@ladsr

1. ¼**i**½ vlR; : कम्पनी प्रत्येक वार्षिक आम सभा में सदस्यों द्वारा संपुष्टि के लिये अंकेक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामले रखती है।

¼**ii**½ vlR; % एक अंकेक्षक की नियुक्ति से पूर्व, प्रत्येक अंकेक्षक से इस तरह की नियुक्ति के लिये अंकेक्षक की लिखित सहमति तथा उससे एक प्रमाणपत्र कि नियुक्ति शर्तों के अनुरूप की जायेगी जैसा निर्धारित किया जा सकता है, प्राप्त किया जायेगा।

¼**iii**½ vlR; : निर्बलता का पत्र आंतरिक नियंत्रण तंत्र में कमजोरी बताते हुये अंकेक्षक द्वारा जारी की गयी रिपोर्ट है। यह उपाय भी सुझाता है जिसके द्वारा प्रणाली में निर्बलता को ठीक किया जा सकता है तथा नियंत्रण प्रणाली बेहतर संरक्षित बनायी जाती है।

¼**iv**½ vlR; : कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(1) के अनुसार कम्पनी के प्रत्येक अंकेक्षक को कम्पनी की लेखा पुस्तकें तथा वाउचर हर समय न केवल कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय बल्कि अन्य स्थानों पर भी हर समय उपयोग का अधिकार होगा।

¼**v**½ lR; : अंकेक्षण साक्ष्य का संग्रह तथा संचय के लिये कुछ विधियां तथा साधन उपलब्ध हैं तथा ये अंकेक्षण तकनीक के रूप में जाने जाते हैं। बैंक समाधान विवरण की समीक्षा अंकेक्षकों द्वारा सामान्यतः अपनायी जाने वाली अंकेक्षण तकनीकों में से एक है।

¼**vi**½ vlR; : कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के अनुसार, एक कम्पनी के उत्तरवर्ती अंकेक्षकों का पारिश्रमिक इसकी साधारण सभा या इसमें निर्धारित किये गये तरीके से तय किया जायेगा।

¼**vii**½ lR; : कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(2) के अनुसार, कम्पनी की प्रत्येक साधारण सभा में वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनी के वित्तीय विवरण रखना कम्पनी के निदे ाक मंडल का दायित्व होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

¼**viii**½ vlR; : आंतरिक साक्ष्य है जो मुवक्किल के संगठन के भीतर सृजित होता है। चूंकि क्रय बीजक मुवक्किल के संगठन के बाहर सृजित होता है, अतः यह बाह्य साक्ष्य का उदाहरण है।

¼**ix**½ vlR; : समीक्षा कार्य पर मानक (SREs) – ऐतिहासिक वित्तीय सूचना की समीक्षा में लागू किया जायेगा।

¼**x**½ vlR; : वर्णनात्मक रिकॉर्ड अंकेक्षक द्वारा परिचालन में पाये गये रूप में प्रणाली का पूर्ण तथा विस्तृत वर्णन है। दूसरी ओर, जांच सूची निर्देशों तथा/या प्रश्नों की एक श्रृंखला है जिसे अंकेक्षण स्टाफ के सदस्य को पालन करना और/या उत्तर देना चाहिये।

2- ¼**a**½ fLFkfr;k tk /kkjkMh ;k =fV dk [krjk c<krh gS %&जांच की योजना तथा प्रद र्न में, अंकेक्षक को धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय सूचना के महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की जोखिम को ध्यान में रखना चाहिये। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के डिजायन में कमजोरी तथा अन्य स्थितियों या घटनाओं के मध्य पहचानी गयी नियंत्रण प्रक्रियाओं के साथ पालन न करना जो धोखाधड़ी या त्रुटि की जोखिम को बढ़ाती हैं :–

¼i½ आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के डिजायन में कमजोरी तथा निर्धारित नियंत्रण प्रक्रियाओं के साथ पालन नहीं करना, उदाहरण के लिये सभी डाक की प्राप्ति तथा संबंधित विभागों को इसे चिंहांकन करने के लिये एक व्यक्ति जिम्मेदार है या डाक की प्राप्ति के लिये दो व्यक्ति जिम्मेदार है लेकिन वास्तविक व्यवहार में इसका पालन नहीं किया जाता, इत्यादि।

¼ii½ प्रबंधन की अखण्डता या के बारे में सन्देह उदाहरण के लिये, एक व्यक्ति का प्रभुत्व, कर्मचारियों की ऊँची आवर्त दर, कानूनी अधिवक्ताओं या अंकेक्षकों का बारंबार परिवर्तन, लेखा विभाग में महत्वपूर्ण तथा लंबे समय तक कर्मचारियों की कमी इत्यादि।

¼iii½ इकाई के भीतर असामान्य दबाव, उदाहरण के लिये, उद्योग ठीक प्रकार कार्य कर रहा है लेकिन कम्पनी तद्नुरूप कार्य नहीं कर रही है, उत्पाद की एकल लाइन पर भारी निर्भरता, अपर्याप्त कार्य ील पूँजी, सार्वजनिक पे ाक ा के जागृत होने में बाजार मूल्य को समर्थन में भोयरों का मूल्य वृद्धि की इकाई को आव यकता है।

¼iv½ असामान्य लेनदेन जैसे कि संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन, वकीलों को कुछ सेवाओं के लिये जरूरत से ज्यादा भुगतान, इत्यादि।

¼v½ पर्याप्त तथा उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने में समस्याएँ, उदाहरण के लिये, अपर्याप्त प्रलेखन, लेखांकन रिकॉर्ड तथा तृतीय पक्षकारों से प्राप्त पुस्टि के रूप में आंकड़ों के बीच महत्वपूर्ण अंतर इत्यादि।

¼6½ vidf{k.k dh fufgr lhek,a % SA 200 के अनुसार, ''स्वतंत्र अंकेक्षक के सम्पूर्ण उद्देश्यों तथा अंकेक्षण पर मानकों के अनुसार अंकेक्षण का संचालन'' वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के उद्देश्यों, मान्य लेखांकन नीतियों तथा प्रथाओं के तंत्र के भीतर तैयार किये गये तथा प्रासंगिक सांविधिक आवश्यकताओं, यदि कोई हों, अंकेक्षक इस तरह के वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने को सक्षम है। वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने में, अंकेक्षक अपने को संतुष्ट करने के लिये डिजाइन की गयी प्रक्रिया अपनाता है कि वित्तीय विवरण उपक्रम की वित्तीय स्थिति तथा परिचालन परिणाम सत्य तथा निश्पक्ष दृश्य प्रतिबिम्बित करते हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iz:i&6% vad{k.k rFkk vk'oklu

अंकेक्षण की प्रक्रिया, यद्यपि कुछ सीमाओं से ग्रस्त है अर्थात् सीमा जो अंकेक्षण प्रक्रिया की प्रकृति तथा हद की परवाह किये बिना दूर नहीं की जा सकती। अंकेक्षण की सीमाओ से उत्पन्न होती हैं :

(i) foÙkh; fjikfVZx dh izdfr % वित्तीय विवरणों की तैयारी इकाई के तथ्यों तथा परिस्थितियों को इकाई को लागू वित्तीय रिपोर्टिंग रूप रेखा की आवश्यकताएँ लागू करने में प्रबंधन द्वारा निर्णय को शामिल करती है। इसके अलावा, अनेक वित्तीय विवरण मदें व्यक्तिपरक निर्णयों या आंकलन या अनिश्चितता की मात्रा को शामिल करती हैं, तथा वहां स्वीकार्य व्याख्याओं या बनाये जा सकने वाले निर्णयों की एक श्रृंखला हो सकती है। नतीजतन, कुछ वित्तीय विवरण मदें परिवर्तनशीलता के एक अन्तर्निहित स्तर के अधीन हैं जो अतिरिक्त अंकेक्षण प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग द्वारा समाप्त नहीं की जा सकती।

(ii) vad{k.k izfØ;k dh izdfr % अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने पर अंकेक्षक की क्षमता पर व्यावहारिक और कानूनी सीमायें हैं, उदाहरण के लिये :

(1) इस बात की संभावना है कि प्रबंधन या अन्य जानबूझकर या अनजाने में पूरी सूचना प्रदान नहीं कर सकते हैं जो कि वित्तीय विवरणों की तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण के लिये प्रासंगिक हैं या कि अंकेक्षक द्वारा अनुरोध किया गया है।

(2) धोखाधड़ी इसे छुपाने को परिष्कृत और सावधानी पूर्ण डिजाइन की गयी संगठित योजना की शामिल कर सकती है। अंकेक्षक दस्तावेजों के प्रमाणीकरण में न तो प्रशिक्षित है और ही विशेषज्ञ होने की उम्मीद है।

(3) अंकेक्षण गलत करने के आरोप की एक अधिकारिक जांच नहीं है। तद्नुरूप, अंकेक्षक को विशिष्ट कानूनी अधिकार नहीं दिये गये हैं जैसे तलाशी का अधिकार, जो इस तरह की जांच के लिये आवश्यक हो सकता है।

(iii) foÙkh; fjikfVZx vkj ykHk rFkk ykxr d: e/; l:ryu dh le;c)rk %&सूचना की प्रासंगिकता और इस तरह इसका मूल्य, समय के साथ कम होता चला जाता है और सूचना की विश्वसनीयता तथा इसकी लागत के मध्य संतुलन चिपकाया जाता है। वित्तीय विवरणों को उपयोगकताओं द्वारा एक उम्मीद है कि अंकेक्षक उचित समयावधि के भीतर तथा उचित लागत पर वित्तीय विवरणों पर एक राय बनेगी, पहचान करने कि यह सभी सूचना पता करना अव्यावहारिक है जो कि विद्यमान हो सकता है या मान्यता पर विस्तृत रूप से हर बात को आगे बढ़ाता है कि सूचना त्रुटि या धोखाधड़ी में है जब तक कि अन्यथा साबित न हो।

(iv) vU; ekey: tks vad{k.k dh lhekvksa dk izHkkfor djrs gSa % कुछ कथनों या विशय मामलों की दशा में, महत्वपूर्ण मिथ्याकथन पता लगाने की अंकेक्षक की क्षमता पर सीमाओं का संभावित प्रभाव विशेश रूप से महत्वपूर्ण है। इस तरह के कथन या विशय मामले शामिल करते हैं :

– धोखाधड़ी, विशेश रूप से वरिष्ठ प्रबंधन या मिली भगत से जुड़ी हुई

© The Institute of Chartered Accountants of India

धोखाधड़ी।

– संबंधित पक्षकार संबंध तथा लेनदेन का अस्तित्व तथा पूर्णता।

– कानूनों तथा नियमों के साथ गैर–अनुपालन की घटना।

– भावी घटनायें या दशायें जो एक इकाई को सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में चालू रहने की समाप्ति का कारण हो सकता है।

अंकेक्षण की सीमाओं के कारण, वहां एक अपरिहार्य जोखिम है कि वित्तीय विवरणों के कुछ महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों का पता नहीं लगाया जा सकता, भले ही अंकेक्षक की SAs के अनुसार ठीक प्रकार योजना बनायी गयी तथा सम्पादित किया गया।

3. ¼a½ i;kZoj lng : SA 200 के अनुसार, ''अंकेक्षणों पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र अंकेक्षक के समग्र उद्देश्यों तथा अंकेक्षण का संचालन,'' पेशेवर संदेह एक दृष्टिकोण है जो एक पूछताछ का मन, स्थितियों को सतर्क रहने को शामिल करता है जो त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण मिथ्याकथन की संभावना तथा अंकेक्षण साक्ष्य के महत्वपूर्ण मूल्यांकन को इंगित कर सकता है।

इसीलिये, पेशेवर संदेह अंकेक्षण साक्ष्य के महत्वपूर्ण मूल्यांकन को आवश्यक है। यह विरोधाभासी अंकेक्षण साक्ष्य की पूछताछ तथा दस्तावेजों की वि वसनीयता तथा पूछताछ की प्रतिक्रियाओं और प्रबंधन से प्राप्त अन्य जानकारी जो शासन पर आरोप लगे हैं, को शामिल करता है। यह परिस्थितियों के आलोक में प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य की प्रचुरता तथा उपयुक्ता के विचार को भी शामिल करता है, उदाहरण के लिये, मामले में जहां धोखाधड़ी जोखिम कारक विद्यमान है, तथा एकल दस्तावेज की प्रकृति धोखाधड़ी जोखिम कारक विद्यमान हैं तथा एकल दस्तावेज की प्रकृति धोखाधड़ी को अतिसंवेदनशील है, महत्वपूर्ण वित्तीय विवरण रा ि के लिए एकमात्र समर्थन सबूत है।

अंकेक्षण के दौरान पेशेवर संदेह को बनाये रखने के लिये आव यक है यदि अंकेक्षक, उदाहरण के लिये, अनदेखी असामान्य परिस्थितियों की जोखिम करने, सामान्य सिद्धांत से ऊपर जब अंकेक्षण टिप्पणियों या प्रकृति के निर्धारण में अनुपयुक्त मान्यताओं का उपयोग करने, समय तथा अंकेक्षण प्रक्रिया की सीमा निर्धारित करने और उसके परिणामों का मूल्यांकन से निष्कर्ष निकाले जाते है।

इसके अलावा, जब उचित आश्वासन प्राप्त करना हो, अंकेक्षक अंकेक्षण के दौरान पेशेवर संदेह बनाये रखने के लिये जिम्मेदार है, प्रबंधन के लिये क्षमता पर विचार करने को नियंत्रण को कुचलना तथा तथ्य को मान्यता देना कि अंकेक्षण प्रक्रिया, जो त्रुटि का पता लगाने के लिये प्रभावी है, धोखाधड़ी का पता लगाने में प्रभावी नहीं हो सकता। यह आव यकता धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की जोखिम के आंकलन तथा पहचान करने में तथा इस तरह का मिथ्याकथन का पता लगाने की प्रक्रियाओं को डिजाइन करने में अंकेक्षक की सहायता के लिये भी डिजाइन किया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अतः, हम कथन के साथ सहमत है।

¼b½ Lorf= vidf{k.k dh ykHk : स्वतंत्र अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षित खाते होने के लाभ हैं :–

(i) यह प्रबंधन के साथ नहीं जुड़े हुए व्यक्तियों जैसे साझेदारों या अंशधारियों के वित्तीय हितों की रक्षा करता है।
(ii) यह धोखाधड़ी करने से कर्मचारियों पर नैतिक जांच के रूप में कार्य करता है।
(iii) यह कर दायित्व के निर्धारण, ऋण के लिये वार्ता तथा बिक्री/विलय के लिये क्रय प्रतिफल के निर्धारण में सहायक है।
(iv) यह अधिक मजदूरी/बोनस के लिये व्यापार या श्रम विवादों को निपटाने में सहायक है।
(v) यह पता लगाने और कम से कम बर्बादी और घाटे में मदद करता है।
(vi) यह पर्याप्त पुस्तकों तथा रिकॉर्ड, सांविधिक रजिस्टर इत्यादि का रखरखाव सुनिश्चित करता है।

4. ¼a½ vidf{k.k rFkk vFk'kkL= % जैसा कि यह सर्वविदित है, लेखांकन आर्थिक गतिविधि से संबंधित डेटा के संचय तथा प्रस्तुति के साथ संबंधित है। हालांकि आय की अवधारणा जैसा अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत की है आय की लेखांकन अवधारणा की तुलना में भिन्न है, फिर भी, बहुत अधिक सामान आधार है, जिन पर लेखांकन निखरा है। अंकेक्षण के दृष्टिकोण से, अंकेक्षक समष्टि अर्थशास्त्र की तुलना में व्यष्टि अर्थशास्त्र से अधिक संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र के ज्ञान को आर्थिक शक्ति की प्रकृति शामिल करनी चाहिये जो फर्म, मूल्य का संबंध, उत्पादकता, सरकार की भूमिका तथा सरकार के नियमों को प्रभावित करती है। अंकेक्षक की समग्र आर्थिक वातावरण के साथ परिचित होने की उम्मीद है जिसमें उसका मुवक्किल काम कर रहा है।

¼b½ lqeke ifr"Bku dh ckj esa lnsg iSnk djus okyh ifjpkyu n'kkvksa dh ekU;rk % परिचालन घटनाओं या स्थितियों के निम्नलिखित उदाहरण हैं जो सुनाम प्रतिष्ठान मान्यता के बारे में महत्वपूर्ण संदेह पैदा करते हैं –

(i) इकाई के समापन या संचालन बंद करने को प्रबंधन के इरादे।
(ii) प्रतिस्थापन के बिना मुख्य प्रबंधन की हानि।
(iii) प्रमुख बाजार, मुख्य ग्राहक(ों) विशेष अधिकार, लाइसेंस या प्रमुख आपूर्तिकर्ता(ों) की हानि
(iv) श्रम कठिनाइयां
(v) महत्वपूर्ण आपूर्ति की कमी
(vi) एक अत्याधिक सफल प्रतियोगी उभरना।

5. vfHkdFku Lrj ij egRoiw.kZ feF;kdFku dh tksf[ke % SA 315 के अनुसार ''इकाई तथा इसके वातावरण के समझने के माध्यम से महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की जोखिम की पहचान तथा आंकलन करना'' लेनदेनों, खातों में भोष तथा प्रकटीकरण के वर्गों के लिये अभिकथन स्तर पर महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की जोखिमों पर विचार करने की आव यकता है

© The Institute of Chartered Accountants of India

क्योंकि ऐसे विचार पर्याप्त उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने को आव यक अभिकथन स्तर पर भावी अंकेक्षण प्रक्रिया की प्रकृति, समय सीमा के निर्धारण में प्रत्यक्ष मदद करते हैं। अभिकथन स्तर पर महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की जोखिम की पहचान तथा आंकलन में, अंकेक्षक निष्कर्ष निकाल सकता है कि पहचान की गयी जोखिम एक पूरे वित्तीय विवरण को अधिक व्यापक रूप से संबंधित है अनेक अभिकथनों को सम्भाव्यतः प्रभावित करती है।

संभावित मिथ्याकथनों के विभिन्न प्रकारों पर विचार करने को अंकेक्षक द्वारा उपयोग किये गये जाने वाले अभिकथन जो निम्नलिखित तीन श्रेणियों में संभाव्य हो सकते हैं तथा निम्नलिखित रूप हो सकते हैं –

¼a½ vd{k.k d nkjku vof/k d fy;s yunuk rFkk ?kVukvk d oxk d ckj e vfHkdFku %

(i) ?kVuk : लेनदेन तथा घटनायें जो दर्ज की गयी हैं घटित हुई हैं तथा इकाई से संबंधित है।

(ii) i.kZrk : सभी लेनदेन तथा घटनायें जो दर्ज की जाने चाहिये, दर्ज की गयी हैं।

(iii) 'k) rk : दर्ज किये जाने वाले लेनदेन तथा घटनाओं से संबंधित रा ि तथा अन्य डेटा उचित रूप से दर्ज किये गये हैं।

(iv) dV&vkQ : लेनदेन तथा घटनायें सही लेखा अवधि में दर्ज की गयी हैं।

(v) oxhdj.k : लेनदेन तथा घटनायें उचित खातों में दर्ज किये गये हैं।

¼b½ vof/k d vr e [kkr e 'k"k d ckj e nko %

(i) fo|eku rk % सम्पत्तियां, दायित्व तथा समता हित विद्यमान है।

(ii) vf/kdkj rFkk nkf;Ro % इकाई सम्पत्तियों के अधिकार को नियंत्रित या धारित करती है तथा देनदारियां इकाई के दायित्व हैं।

(iii) i.kZrk % सभी सम्पत्तियां, देनदारियां तथा समता हित जो दर्ज किये जाने चाहिये, दर्ज किये गये हैं।

(iv) eY;kdu rFkk vkcVu : सम्पत्तियां, देनदारियां तथा समता हित वित्तीय विवरणों में उचित रा ि पर भा मिल किये गये हैं तथा परिणामी मूल्यांकन या आबंटन समायोजन उचित प्रकार दर्ज किये गये हैं।

¼c½ iLrqrhdj.k rFkk izdVhdj.k d ckj e nko %

(i) ?kVuk rFkk vf/kdkj rFkk nkf;Ro : प्रकट की गयी घटनायें, लेनदेन तथा अन्य मामले घटित हुए हैं तथा इकाई से संबंधित हैं।

(ii) i.kZrk % सभी खुलासे जो वित्तीय विवरणों में शामिल किये जाने चाहिए, शामिल किये गये है।

(iii) oxhdj.k rFkk le>ku;kX; : वित्तीय सूचना उचित रूप से प्रस्तुत की गयी है तथा वर्णन की गयी है तथा खुलासे स्पष्ट रूप से व्यक्त किये गये है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iv) 'k) rk rFkk eY;kdu : वित्तीय तथा अन्य सूचना उचित रूप से तथा उचित रा ि पर प्रकट की गयी है।

6. ¼a½ y[kkdu vuekuku : कुछ लेखांकन अनुमान अपेक्षाकृत अनि ितता के कम आंकलन को शामिल करता है तथा महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की कम जोखिम को बढ़ावा दे सकता है, उदाहरण के लिये :

- संस्थाओं में लेखांकन अनुमान उत्पन्न होते हैं जो व्यावसायिक गतिविधियों में संलग्न हैं जो जटिल नहीं है।
- लेखांकन अनुमान जो अक्सर बनाये तथा अद्यतन किये जाते हैं क्योंकि वे नियमित लेनदेन से संबंधित है।

कुछ लेखांकन अनुमानों के लिय, यद्यपि वे अपेक्षाकृत उच्च अनुमान अनि ितता हो सकते हैं, वि ोश्कर जहां वे महत्वपूर्ण मान्यताओं पर आधारित हैं, उदाहरण के लिये :

- मुकदमेबाजी के परिणाम से संबंधित लेखांकन अनुमान
- व्युत्पन्न वित्तीय उपकरणों सार्वजनिक रूप से कारोबार नहीं के लिये उचित मूल्य लेखांकन अनुमान।

लेखांकन अनुमानों के अतिरिक्त उदाहरण हैं :

- संदिग्ध खातों के लिये भत्ता,
- स्कंध अप्रचलन,
- वारंटी दायित्वों,
- मूल्य ह्रास विधि या सम्पत्ति उपयोगी जीवन,
- निवेश की रा ि ले जाने के विरूद्ध प्रावधान जहां इसकी वसूली के बारे में अनि ितता है,
- दीर्घकालीन अनुबंध के परिणाम,
- वित्तीय बाध्यताएँ/मुकदमेबाजी समझौतों तथा निर्णयों से उत्पन्न होने वाली लागत।

¼b½ ^lR; rFkk Li"V* dh vo/kkj.kk % 'सत्य तथा स्पश्ट' की अवधारणा अंकेक्षण में एक मौलिक अवधारणा है। अंकेक्षक की रिपोर्ट में 'सत्य तथा स्पश्ट' वाक्यांश प्रकट करता है कि अंकेक्षक को अपनी राय व्यक्त करना अपेक्षित है कि क्या उसके अंकेक्षण के दौरान उसके द्वारा निर्धारित किये गये रूप में संस्था के हालात तथा परिणाम अंकेक्षण के तहत खातों में सत्य तथा स्पश्ट प्रतिनिधित्व करते हैं।

यह जरूरी है कि अंकेक्षक को सत्यापन करने की दृश्टि से खातों की जांच करनी चाहिए कि सभी सम्पत्तियां तथा दायित्व, आय तथा व्यय की निर्दिश्ट की गयी रा ि लेखांकन सिद्धांतों तथा नीतियों के अनुरूप है तथा कोई महत्वपूर्ण मद नहीं हटाई गयी है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iiij&6% vidf{k.k rFkk vk'oklu

सत्य तथा स्पष्ट दृश्य की अवधारणा का महत्व तथ्यों से साफ जाहिर तथा सराहना भी की जा सकती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धाराएँ 128, 129 तथा 143 भी इस अवधारणा को वित्तीय विवरणों पर क्रम ाः लेखा पुस्तकों, वित्तीय विवरणों तथा रिपोर्टिंग के संबंध में चर्चा करती है।

उक्त अधिनियम की धारा 128(1) प्रदान करती है कि प्रत्येक कम्पनी प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये लेखा पुस्तकों तथा अन्य प्रासंगिक पुस्तकों तथा कागजात तथा वित्तीय विवरण अपने पंजीकृत कार्यालय पर तैयार तथा रखी जाती हैं जो इसके शाखा कार्यालय तथा कार्यालयों यदि कोई हों के सहित कम्पनी के हालातों का सत्य तथा स्पष्ट दृश्य देता है। कम्पनी पंजीकृत कार्यालय तथा इसकी शाखाओं दोनों पर प्रभाव डालने वाले लेनदेनों का वर्णन करने की स्थिति में होगी। ऐसी लेखा पुस्तकें संचयी आधार पर तथा लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखी जायेंगी।

कम्पनी अधिनियम की धारा 129(1) प्रदान करती है कि वित्तीय विवरण कम्पनी या कम्पनियों के हालात का सत्य तथा स्पष्ट दृ य देगा, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत अधिसूचित लेखा मानकों का अनुपालन करना (जिसमें केन्द्र सरकार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण द्वारा दी गयी सिफारिशों की जांच के पश्चात् तथा परामर्ा से चार्टर्ड अकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 की धारा 3 के तहत गठित भारतीय चार्टर्ड अकाउन्टेंट के मानक या इसके अलावा कोई परिशिष्ट निर्धारित कर सकती है) तथा प्रपत्र या प्रपत्रों में होगा जैसा उक्त अधिनियम की अनुसूची III में कम्पनियों के विभिन्न वर्ग या वर्गों के लिये प्रदान किया जा सकता है।

शब्द 'वित्तीय विवरण' उक्त अधिनियम के तहत कब्जे में गये कोई नोट या ऐसे वित्तीय विवरण का हिस्सा बनाने दी जाने वाली आव यक जानकारी देने तथा इस तरह नोट के रूप में दिये जाने की अनुमति को भाामिल करेगा।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि उपधारा (1) में समाहित कुछ भी नहीं किसी बीमा या बैंकिंग कम्पनी या विद्युत के उत्पादन या आपूर्ति में संलग्न कोई कम्पनी या कम्पनी का अन्य कोई वर्ग जिसके लिये वित्तीय विवरण का एक रूप अधिनियम के तहत या में शामिल कम्पनी के इस वर्ग को निर्दिष्ट किया गया है।

हालांकि, वित्तीय विवरण कम्पनी के हालातों का सत्य और स्पष्ट दृ य खुलासा नहीं करने के रूप में नहीं माने जायेंगे, केवल तथ्य के कारण द्वारा कि वे प्रकट नहीं करते –

¼**a**½ बीमा कम्पनी की दशा में, कोई मामला जो बीमा अधिनियम, 1938 या बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 द्वारा प्रकट करना आव यक नहीं है।

¼**b**½ एक बैंकिंग कम्पनी की द ाा में, कोई मामला जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा प्रकट करना आव यक नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iij&6% vidf{k.k rFkk vk'oklu

¼c½ विधुत के उत्पादन या आपूर्ति में संलग्न कम्पनी की द ा में, कोई मामला जो विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा प्रकट करना आव यक नहीं है।

¼d½ किसी अन्य द्वारा भासित तत्समय प्रवृत्त कम्पनी की द ा में कोई मामला जो उस कानून द्वारा प्रकट करना आव यक नहीं है।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि जहां कम्पनी के वित्तीय विवरण उपधारा (1) में उल्लिखित लेखांकन मानकों का पालन नहीं करते, कम्पनी अपने वित्तीय विवरणों मे लेखांकन मानकों से विचलन पर, इस तरह के विचलन के लिये कारणों तथा वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हों, इस तरह के विलचन से उत्पन्न प्रकट करेगी।

इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 143(2) के अनुसार अंकेक्षक है को कम्पनी के सदस्यों को निर्दिश्ट करते हुए रिपोर्ट बनाना आव यक है कि उसकी सर्वोत्तम जानकारी तथा ज्ञान के अनुसार, वित्तीय विवरण इसके वित्तीय वर्श के अन्त पर कम्पनी के हालात तथा वर्श के लिये लाभ या हानि तथा रोकड़ प्रवाह तथा निर्धारित किये जा सकने वाले अन्य मामलों का सत्य तथा स्पश्ट दृश्टिकोण देता है।

SA 700 ''वित्तीय विवरणों पर राय बनाना तथा रिपोर्टिंग'' प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य से निश्कर्शों के मूल्यांकन पर आधारित वित्तीय विवरणों पर अंकेक्षक को राय बनाने तथा लिखित रिपोर्ट के माध्यम से उस राय को व्यक्त करने की आव यकता है जो राय के लिये आधार का भी वर्णन करती है। अंकेक्षक को वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने की आव यकता है कि यह भारत में आम तौर पर स्वीकार किये गये लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप में (a) चिट्ठे की द ा में, मार्च 31, 20XX को कम्पनी के हालात (b) लाभ हानि विवरण की द ा में, उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्श के लिये लाभ/हानि तथा (c) नकद कोश प्रवाह विवरण की द ा में उस तिथि को समाप्त होने वाले वर्श के लिये रोकड़ प्रवाह सहित सत्य तथा स्पश्ट दृश्टिकोण देते है।

7. ¼a½ vidf{k.k jk; cukus dk lk{; tqVkuk% अंकेक्षण को पर्याप्त तथा उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य बनाना चाहिये तथा वित्तीय विवरणों से प्रकट होने वाले अभिकथनों के बारे में राय बनाने से पूर्व उनका परीक्षण करना चाहिये। इसके लिये, अंकेक्षक (a) नियंत्रण की जांच तथा (b) मूल प्रक्रिया साक्ष्यों की जांच करता है।

SA 330 के अनुसार, ''अंकेक्षक की मूल्यांकन जोखिम की प्रतिक्रिया'' नियंत्रण की जांच से अभिप्राय, अंकेक्षण प्रक्रिया अभिकथन स्तर पर महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को रोकने, या पता लगाने तथा सही करने में नियंत्रणों के परिचालन प्रभाव का मूल्यांकन करता है।

अंकेक्षक पर्याप्त उपयुक्त अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने को नियंत्रण की डिजाइन तथा जांच का निश्पादन करेगा जहां तक प्रासंगिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता है जब :

(i) अभिकथन स्तर पर महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की जोखिम का अंकेक्षक का आंकलन एक प्रत्याशा को शामिल करता है कि नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं

© The Institute of Chartered Accountants of India

iqjd&6% vadf{k.k rFkk vk'oklu

(अर्थात् अंकेक्षक प्रकृति, समय तथा मूल प्रक्रियाओं की सीमा निर्धारण में नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता पर भरोसा करने का इरादा रखता हैं), या

(ii) अकेले मूल प्रक्रियाएँ अभिकथन स्तर पर पर्याप्त उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्रदान नहीं कर सकता।

आगे SA 330 अभिकथन स्तर पर महत्वपूर्ण अभिकथन पता लगाने को डिजाइन की गयी अंकेक्षण प्रक्रिया के रूप में मूल प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। मूल प्रक्रियाएँ शामिल करती है :

(i) विवरण का परीक्षण (लेनदेन की श्रेणियां, खाते के शेष तथा खुलासे), और

(ii) मूल विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ।

महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की जोखिम मूल्यांकन के बावजूद, अंकेक्षक लेनदेनों की प्रत्येक महत्वपूर्ण श्रेणी, खाता शेष तथा खुलासा के लिये मूल प्रक्रियाएँ डिजाइन तथा प्रदर्शन करता है।

अंकेक्षक विचार करेगा कि क्या बाह्य पुष्टि प्रक्रियाएँ मूल अंकेक्षण प्रक्रियाओं के रूप में प्रदर्शन करेगी।

¼b½ vadf{k.k dk;Zdkjh dkxtkr % अंकेक्षण कार्यकारी कागजात अंकेक्षक की रिपोर्ट तथा मुवक्किल के रिकॉर्ड के मध्य लिंक गठित करता है। ''अंकेक्षण प्रलेखन'' पर SA 230 बताता है कि अंकेक्षण कार्यकारी कागजात निष्पादित की गयी अंकेक्षण प्रक्रिया, प्राप्त किये गये प्रासंगिक अंकेक्षण साक्ष्य तथा पहुंचे हुए अंकेक्षक निष्कर्षों का रिकॉर्ड हैं। अंकेक्षण कार्यकारी कागजात का उद्देश्य प्रदान करना है :

(i) अंकेक्षक के समग्र उद्देश्य की प्राप्ति के बारे में निष्कर्ष के लिये अंकेक्षक के आधार का साक्ष्य, तथा

(ii) साक्ष्य की SAs के अनुरूप में अंकेक्षण की योजना तथा प्रदर्शन किया गया था तथा कानूनी और नियामक आवश्यकताएँ लागू हैं।

उपरोक्त के अलावा, वे अनेक अतिरिक्त उद्देश्यों को पूरा करते हैं, निम्नलिखित को शामिल करता है :–

- अंकेक्षण की योजना तथा प्रदर्शन को वचनबद्ध टीम की सहायता करना।
- SA 220 के अनुसार प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण तथा अंकेक्षण कार्य के पर्यवेक्षण के लिये जिम्मेदार वचनबद्ध टीम के सदस्यों की मदद करना तथा उनकी पुनरीक्षण जिम्मेदारियां पूरी करना
- इसके काम के लिये जबावदेह वचनबद्ध टीम को समर्थ बनाना।
- भावी अंकेक्षण का महत्व जारी रखने के मामलों का रिकॉर्ड बनाये रखना।

© The Institute of Chartered Accountants of India

- SQC 1 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की समीक्षा और निरीक्षण के आचरण को समर्थ बनाना।
- लागू कानूनी, विनियामक या अन्य आवश्यकताओं के अनुरूप बाह्य निरीक्षण के आचरण को समर्थ बनाना।

कार्यकारी कागजातों में अंकेक्षण योजना, प्रकृति, समय तथा प्रदर्शन की गयी अंकेक्षण प्रक्रियाओं की हद तथा प्राप्त किये गये साक्ष्यों से निकाले गये निष्कर्ष समाविष्ट होने चाहिये। अंकेक्षक अंकेक्षण फाइल में अंकेक्षण कार्यकारी कागजातों को एकत्रित करेगा तथा अंकेक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात् समय के आधार पर अंतिम अंकेक्षण फाइल एकत्रित करने की प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी करेगा। आमतौर पर अंकेक्षण कार्यकारी कागजात के लिये प्रतिधारण अवधि अंकेक्षक की रिपोर्ट की तिथि या बाद में समूह अंकेक्षक की रिपोर्ट से 10 वर्षों से कम नहीं होती। जब तक अन्यथा कानून या नियम, अंकेक्षण कार्यकारी कागजात अंकेक्षक की सम्पत्ति है। वह अपने विवेक के आधार पर, मुवक्किलों को उपलब्ध अंकेक्षण दस्तावेजों का कुछ भाग या उद्धरण उपलब्ध करा सकता है।

8. (a½ ueuk p;u dh fof/k;k¡ % नमूना चयन करने की अनेक विधियां है। प्रमुख तरीके इस प्रकार हैं :

(i) ;kn`fPNd p;u (यादृच्छिक संख्या जेनरेटर, उदाहरण के लिये, यादृच्छिक संख्या तालिकायें) स्तरीकृत नमूना यादृच्छिक नमूनों के तरीकों में से एक है। यह विधि पूरी आबादी तबके को कुछ समूहों स्तर कहलाता है, में विभाजित कर उनमें से प्रत्येक से नमूना लेकर परीक्षण करने को शामिल करती है। प्रत्येक परत का इस तरह व्यवहार किया जाता है। कि वह एक अलग आबादी थी तथा यदि प्रत्येक परत से आनुपातिक मदों का चयन किया जाता है। समूह, जिनमें पूरी आबादी को विभाजित किया जाता है, अंकेक्षक द्वारा अपने फैसले के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उदाहरण के लिये पूरे व्यय वाउचर में विभाजित किये जा सकते हैं–

(1) 1,00,000 रू. से ऊपर के वाउचर
(2) 25,000 रू. से 1,00,000 रू. के मध्य वाउचर
(3) 25,000 रू. से नीचे वाउचर

तब अंकेक्षक 1,00,000 रू. ऊपर के सभी, 25,000 रू. तथा 1,00,000 रू. के मध्य 50% तथा 25,000 रू. के नीचे 25% वाउचरों की जांच करना तय कर सकता है।

स्तरीकृत नमूने के पीछे तर्क है कि अत्याधिक विविध आबादी के लिये, इन भिन्नताओं को प्रतिबिंबित करने को भार आबंटित किये जाने चाहिये। यह प्रत्येक स्तर से अलग अनुपात का चयन करते हुए हासिल किया जाता है। यह देखा जा सकता है कि स्तरीकृत नमूना बस सरल यादृच्छिक नमूने का विस्तार है।

(ii) 0;ofLFkr p;u %& जिसमें जनसंख्या में नमूना इकाइयों की संख्या एक नमूना अंतराल देने को नमूना आकार से विभाजित किया जाता है, उदाहरण के लिये 50, तथा पहले 50 के भीतर एक प्रारंभिक बिंदु निर्धारित करने के बाद, उसके बाद 50वीं

© The Institute of Chartered Accountants of India

नमूना इकाई का चयन किया जाता है। हालांकि शुरूआती बिंदु संयोग से निर्धारित किया जा सकता है, सच में नमूना यादृच्छित होने की संभावना है यदि यह कम्प्यूटरीकृत यादृच्छिक संख्या जेनरेटर या यादृच्छिक संख्या तालिका के उपयोग करते हैं, अंकेक्षक को निर्धारित करने की आवश्यकता होगी कि जनसंख्या के भीतर नमूना इकाइयों की तरह संचरित नहीं हैं कि नमूना अंतराल जनसंख्या में एक खास स्वरूप के साथ मेल खाता है।

(iii) ekfnd bdkbZ ueuk मूल्य भारित चयन का एक प्रकार है जिसमें निष्कर्ष में नमूने का आकार, चयन तथा मूल्यांकन परिणाम मौद्रिक राशि में होता है।

(iv) cjrjhc p;u जिसमें अंकेक्षक एक संचरित तकनीक का उपयोग किये बिना नमूने का चयन करता है। हालांकि, कोई संरचित तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता, फिर भी अंकेक्षक को किसी भी जागरूक पूर्वाग्रह या पूर्वकथनीयता (उदाहरण के लिये, वस्तुओं का पता लगाने के लिये मुश्किल से परहेज या सदैव पृष्ठ पर पहली तथा अंतिम प्रविष्टियों से परहेज) से बचना होगा तथा इस प्रकार सुनिश्चित करने का प्रयास है कि आबादी में सभी मदों को चयन का एक मौका है। बेतरतीब चयन उचित नहीं है जब सांख्यिकीय नमूने का उपयोग कर रहा है।

(v) Cykd p;u आबादी के भीतर से वस्तुओं के ब्लॉक का चयन शामिल करती है। आमतौर पर अंकेक्षण नमूने में ब्लॉक चयन का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि ज्यादातर आबादी इस तरह संरचित है कि क्रम में मदों की एक दूसरे के समान विशेषताओं की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन जनसंख्या में कहीं भी मदों से अलग–अलग विशेषताएँ है। यद्यपि कुछ परिस्थितियों में यह मदों के एक ब्लॉक की जांच की एक उचित अंकेक्षण प्रक्रिया हो सकती है, यह शायद ही कभी एक उपयुक्त नमूना चयन तकनीक होगी जब अंकेक्षक नमूने के आधार पर पूरी जनसंख्या के बारे में वैध अनुमान निकालने का इरादा रखता है।

¼b½ tgk vkpd fujh{k.k vidf{k.k dh izHkko'khyrk dk dkQh l/kkj ldrk gS % औचक निरीक्षण सामान्य अंकेक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाते हैं। जांच का समय तथा वस्तुओं का चयन के संबंध में औचक निरीक्षण के दोनों तत्व, अंकेक्षण की प्रभावशीलता को काफी सुधारते हैं। सामान्यतः, क्षेत्र जिन पर औचक जांच नियोजित की जा सकती है :

(i) नकदी तथा निवेश का सत्यापन
(ii) स्कंध
(iii) आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक जांच
(iv) मुख्य प्रविष्टियों की पुस्तकें तथा सांविधिक रजिस्टर।

9. ¼a½ ekíd dh vo/kkj.kk % SA 320 ''नियोजन में माद्दा तथा अंकेक्षण का निष्पादन'', माद्दा की अवधारणा तथा अंकेक्षण जोखिम के साथ संबंध जब अंकेक्षण का आयोजन किया जाता है कि अवधारणा पर मानक स्थापित करता है। इसीलिये, अंकेक्षक को सामग्री मदों के

© The Institute of Chartered Accountants of India

iir&6% vdk{k.k rFkk vk'oklu

समर्थन में और अधिक विश्वसनीय सबूत की आव यकता है। SA 320 अपेक्षाकृत महत्वपूर्ण तथा प्रासंगिक मदों के रूप में सामग्री मदों को परिभाषित करता है अर्थात् मदें जिनका ज्ञान वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ता के निर्णय को प्रभावित करेगा। वित्तीय विवरण हकीकत को प्रभावित करते हैं यदि ऐसा निर्णय गलती से छोड़ा जाता हैं वहां कहा जा सकता है, कि इस तरह की जानकारी के आधार पर उपयोगकर्ता का आर्थिक निर्णय ऐसे मिथ्याकथन या चूक से प्रभावित है।

अंकेक्षक को सुनिश्चित करना है कि इस तरह की मदें वित्तीय विवरणों में यथोचित तथा साफतौर पर प्रकट की गयी हैं।

माद्दा की अवधारणा लेखांकन की प्रक्रिया को मौलिक है। यह रिकॉर्डिंग से वर्गीकरण तथा प्रस्तुति के सभी चरणों को शामिल करता है। यह अंकेक्षक के लिये बहुत महत्वपूर्ण है जिसे सतत् निर्णय करना है क्या एक वि ोश मद महत्वपूर्ण है या नहीं।

माद्दा तथा अंकेक्षण जोखिम की मात्रा के मध्य विपरीत संबंध है। माद्दा का ऊँचा स्तर, न्यूनतम अंकेक्षण जोखिम तथा इसके प्रतिकूल होता है। उदाहरण के लिये, जोखिम कि एक वि ोश खाते का, भोश या लेनदेन का वर्ग एक बहुत बड़ी रा ि से गलत बयान किया जा सकता है, बहुत कम हो सकता है लेकिन जोखिम कि यह एक बहुत छोटी राशि से गलत बयान किया जा सकता है, बहुत अधिक हो सकता है।

ekík fu/kkj.k djus ds fy;s fopkj fd;s tkus okys rRo %

(i) माद्दा की मद व्यक्तिगत या समग्र रूप में निर्धारित की जा सकती है।
(ii) माद्दा नियामक या कानूनी विचारों पर निर्भर करता है,
(iii) माद्दा अक्सर ऊपर मात्रात्मक जानकारी के संबंध में गणना नहीं है। इसके गुणात्मक आयाम भी है।
(iv) गुणवत्ता के मामले में तुच्छ वस्तुएँ वि ोश परिस्थितियों में सामग्री हो सकती है।
(v) मात्रा के मामले में कभी–कभी एक मद का माद्दा कानून में अपने आप वर्णित है। उदाहरण के लिये, अनुसूची III में व्यय की मदों के प्रकटीकरण की आव यकता है। जो परिचालन से आगम का एक प्रति ात से अधिक है या 1,00,000 रू. जो भी अधिक हो।
(vi) एक मद जिसका प्रभाव वर्तमान में नगण्य है, लेकिन भविश्य में यह महत्वपूर्ण हो सकता है, सामग्री मद हो सकती है।

¼b½ vdk{k.k rduhd %s अंकेक्षण साक्ष्य के संग्रह तथा संचय के लिये, कुछ विधियां तथा साधन उपलब्ध हैं तथा ये अंकेक्षण तकनीक के रूप में जानी जाती हैं। अंकेक्षकों द्वारा आमतौर पर अपनायी जाने वाली कुछ तकनीकें निम्नलिखित हैं :

(i) इन्द्राज की जांच
(ii) प्रक्षेप की जांच
(iii) भौतिक परीक्षा तथा गिनती

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iv) पुष्टिकरण
(v) पूछताछ
(vi) वर्ष के अंत में जांच
(vii) पुनः गणना
(viii) उत्तरवर्ती अवधि में नजर रखना
(ix) बैंक समाशोधन

यह ध्यान दिया जा सकता है कि दो शब्दों प्रक्रिया तथा तकनीक अक्सर एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किये जाते हैं, वास्तव में, हालांकि एक अंतर मौजूद है। प्रक्रिया में तकनीकों की एक संख्या शामिल है तथा अंकेक्षण कार्य से निपटने के व्यापक ढांचे का प्रतिनिधित्व करता है, तकनीक से अभिप्राय को करने के लिये नियोजित की गयी विधियां है। उदाहरण के लिये, प्रक्रिया को दस्तावेजी सबूत की एक जांच की आव यकता है। यह कार्य प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो वाउचिंग के रूप में जाना जाता है जो दस्तावेजी साक्ष्य को निरीक्षण तथा जांच की गणना की तकनीकें शामिल करता है।

10. ¼a½ dEI;wVjhd`r lwpuk iz.kkyh esa vkUrfjd fu;a=.k iz.kkyh dh fo'oluh;rk % कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की वि वसनीयता के मूल्यांकन के लिये, अंकेक्षक निम्नलिखित पर विचार करेगा –

(i) कि प्रसंस्करण के लिये अधिकृत, सही तथा पूर्ण समंक उपलब्ध कराये गये हैं।
(ii) कि यह त्रुटियों का समय पर पता लगाने तथा सुधार प्रदान करता है।
(iii) कि यांत्रिक, विद्युत या प्रसंस्करण विफलताओं के कारण विफलता की दा में, प्रविष्टियों तथा अभिलेखों की पूर्णता को विकृत किये बिना प्रणाली पुनः प्रारंभ होती है।
(iv) कि यह उत्पाद की सटीकता तथा पूर्णता सुनिश्चित करती है।
(v) कि यह धोखाधड़ी इत्यादि के विरूद्ध अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और डेटा फाइलों को सुरक्षा प्रदान करता है।
(vi) यह प्रोग्रामों का अनाधिकृत संशोधन रोकता है।

¼b½ lsok C;wjks esa vkrfjd fu;a=.k iz.kkyh dh vko';drk,a % सेवा ब्यूरो में अनुप्रयोग प्रसंस्करण के लिये आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली की स्थापना या मूल्यांकन को विभिन्न आव यकताएँ नीचे बतायी गयी हैं –

(i) ब्यूरो और उपयोगकर्ता के मध्य सम्पर्क स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिये, उपयोगकर्ता के कर्मचारियों का वरिष्ठ सदस्य सम्पर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।
(ii) उपयोगकर्ता कम्पनी में सभी लिपिक प्रक्रियाओं सहित एक प्रणाली के परीक्षण के लिये आव यकता है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(iii) डेटा के भौतिक चाल के ऊपर नियंत्रण तथा इस संबंध में क्या सेवा ब्यूरो को भेजे गये दस्तावेजों की प्रतिलिपि या माइक्रोफिल्म रखी गयी है।

(iv) योजना, प्रक्रिया ताकि ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों से त्रुटि को पहचाना जा सके। उपयोगकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिये कि ब्यूरो प्रसंस्करण कार्यक्रम को पूरा करने को भीघ्र सुधार तथा अस्वीकृति को पुनः प्रस्तुत किया जाये।

(v) यह सुनिश्चित करने को उपयोगकर्ता कम्पनी में एक प्रणाली स्थापित करना कि सभी असामान्य रिपोर्ट ब्यूरो से प्राप्त कर ली गयी हैं।

(vi) कम्प्यूटर प्रसंस्करण की सटीकता की पुष्टि करने के लिये लिपिकीय नियंत्रण स्थापित करना।

(vii) सामान्यतः उपयोगकर्ता का फाइलों पर कोई भौतिक नियंत्रण नहीं हैं, इसीलिये, मास्टर फाइलों पर डेटा के रखरखाव पर उच्च नियंत्रण स्थापित किया जाना चाहिए।

11. ¼a½ vkrfjd fu;a=.k dh ,d i.kkyh r;kjh djus esa lkekU; fopkj %&शब्द 'आंतरिक जांच' दिनप्रतिदिन के व्यवहारों पर जांच के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सामान्य प्रणाली के एक भाग के रूप में लगातार काम करती है। जिससे एक व्यक्ति कार्य स्वतंत्र रूप से या दूसरे के काम का पूरक साबित किया जाता है, इसका उद्दे य त्रुटि या धोखाधड़ी को रोकना या जल्दी पता लगाना है। आंतरिक जांच की प्रणाली तैयार करने में निम्नलिखित पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिये।

(i) व्यापार के किसी भी महत्वपूर्ण पहलू पर एकल व्यक्ति का स्वतंत्र निर्णय नियंत्रण नहीं होना चाहिये। एक व्यक्ति द्वारा किये गये कार्य की सामान्य कार्यप्रणाली में अन्य व्यक्ति द्वारा जांच स्वचलित रूप से की जानी चाहिये।

(ii) स्टॉफ के सदस्यों के कर्तव्य/कार्य समय–समय पर बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तित किये जाने चाहिये ताकि एक ही अधिकारी या अधीनस्थ, बिना विराम के एक ही कार्य काफी अवधि के लिये न कर सके।

(iii) स्टाफ को हर सदस्य को वर्ष में कम से कम एक बार छुट्टी पर जाने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये ताकि एक ऐसे व्यक्ति द्वारा सफलतापूर्वक छिपायी गयी धोखाधड़ी का उसकी अनुपस्थिति में पता लगाया जा सके।

(iv) सम्पत्तियों की भौतिक निगरानी वाले व्यक्तियों को लेखा को लेखा पुस्तकों के उपयोग की अनुमति नहीं होनी चाहिये।

(v) सम्पत्तियों के प्रत्येक महत्वपूर्ण वर्ग के संबंध में लेखांकन नियंत्रण होना चाहिये, इसके अलावा इनका समय–समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिये ताकि उनकी भौतिक हालत स्थापित हो सके।

(vi) बजट नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ की जानी चाहिये।

(vii) वर्ष की समाप्ति पर, स्कंध लेने के लिये, यदि संभव हो, व्यापारिक गतिविधियां निलंबित की जानी चाहिये। स्कंध लेने तथा मूल्यांकन का कार्य स्कंध खंड के अलावा अन्य से संबंधित कर्मचारियों द्वारा किया जाना चाहिये।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(viii) वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियां बहुत न्यायिक ढंग से उप–विभाजित की जानी चाहिये तथा ऐसे विभाजन के प्रभाव की समय–समय पर समीक्षा की जानी चाहिये।

(ix) अंत में, प्रणाली का विस्तार या संकुचन संस्था के आकार के अनुरूप करने की क्षमता होनी चाहिये।

¼b½ vidf{k.k izHkko %&अंकेक्षण प्रभाव ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक से एक आधार पर मूल इनपुट को अंतिम उत्पाद के साथ संबंधित करना संभव हो। मानवीय लेखांकन प्रणाली में, प्रत्येक उत्तरवर्ती चरण पर लेनदेनों को दर्ज करने का संबंध स्थापित करना संभव है जो अंकेक्षक को दस्तावेजों की जांच, योग और आर–पार के प्रयोजनों के लिये प्रारंभ से अंत तक सभी दस्तावेजों का पता लगाने तथा पहचान के योग्य बनाता है। पहली तथा जल्दी दूसरी पीढ़ी की कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली वातावरण बहुत जटिल हो गया है। यह प्रबंधन द्वारा अपवाद रिपोर्टिंग के उपयोग को बढ़ावा देता है जिसने इनपुट तथा आउटपुट के मध्य अंकेक्षण प्रभाव को प्रभावी ढंग से समाप्त कर दिया है। लेखांकन प्रक्रिया में दृश्य साक्ष्य का अभाव विभिन्न चरणों में हो सकता है, उदाहरण के लिये –

(i) इनपुट दस्तावेज अस्तित्वहीन हो सकते हैं, जहां विक्रय आदेश ऑन लाइन प्रविष्ट किये जाते है। इसके अलावा, लेखांकन लेनदेन जैसे बट्टा तथा ब्याज की गणना व्यक्तिगत लेनदेनों के प्राधिकरण के बिना कम्प्यूटर प्रोग्रामों द्वारा उत्पन्न किये जा सकते है।

(ii) प्रणाली कम्प्यूटर के माध्यम से प्रसंस्करित लेनदेनों का दृ य अंकेक्षण प्रभाव का उत्पादन नहीं हो सकता है। सुपुर्दगी नोट तथा आपूर्तिकर्ता के बीजक कम्प्यूटर प्रोग्राम द्वारा मिलान किये जा सकते हैं। इसके अलावा, प्रोग्राम की गयी नियंत्रण प्रक्रियाएँ जैसे ग्राहक साख सीमा की जांच केवल एक अपवाद के आधार पर दृ य साक्ष्य उपलब्ध करा सकती है। ऐसे मामलों में, वहां कोई दृ य साक्ष्य नहीं हो सकता है कि सभी संसाधनों का प्रसंस्करण कर दिया गया है।

(iii) आउटपुट रिपोर्ट प्रणाली द्वारा उत्पादित नहीं की जा सकती हैं या मुद्रित रिपोर्ट केवल सारांश योग हो सकती है जबकि समर्थन विवरण कम्प्यूटर फाइलों में रखा जाता है।

fo'k"k vidf{k.k rduhd % अंकेक्षण प्रभाव की अनुपस्थिति में, अंकेक्षक को आ वासन की आव यकता है कि वि ोश अंकेक्षण तकनीकों का उपयोग करते हुए वि िाष्ट मदों के संदर्भ में प्रोग्राम सही ढंग से कार्य कर रहे है। इनपुट दस्तावेजों का अभाव या दृ य अंकेक्षण प्रभाव का अभाव को कम्प्यूटर सहायता अंकेक्षण तकनीक (CAATs) अर्थात् अंकेक्षण उपकरण के रूप में कम्प्यूटर के उपयोग की आव यकता हो सकती है। अंकेक्षक परीक्षण करने को कम्प्यूटर का उपयोग कर सकते हैं :

- प्रणाली के भीतर मौजूदा तर्क तथा नियंत्रण
- प्रणाली द्वारा उत्पादित रिकॉर्ड।

© The Institute of Chartered Accountants of India

अंकेक्षित अनुप्रयोग प्रणाली की जटिलता पर निर्भर, दृष्टिकोण अंकेक्षक की ओर से काफी सरल या व्यापक तकनीकी क्षमता की आव यकता हो सकती है। अंकेक्षण प्रक्रिया की प्रभाव ीलता तथा दक्षता CAATs के उपयोग के माध्यम से बढ़ायी जा सकती है। पूरे तौर पर, CAATs के दो आम प्रकार प्रचलन में हैं यानि परीक्षण पैक या परीक्षण डेटा तथा अंकेक्षण सॉफ्टवेयर या कम्प्यूटर अंकेक्षण प्रोग्राम।

12. ¼a½ dV vkQ 0;oLFkk % लेखांकन एक सतत प्रक्रिया है क्योंकि व्यापार में विराम कभी नहीं आता। अतः यह आव यक है कि एक अवधि के लेनदेन आगामी अवधि के से अलग किये जायेंगे ताकि प्रत्येक अवधि के कार्यचालन के परिणामों को ठीक प्रकार निर्धारित किये जा सकें। इस उद्दे य के लिये बनायी गयी व्यवस्था को तकनीकी रूप से ''कट ऑफ व्यवस्था'' के रूप में जाना जाता है। यह अनिवार्य रूप से संगठन की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का हिस्सा बनता है। लेखा, बिक्री के अलावा, क्रय तथा स्कंध आमतौर पर व्यापार की निरंतरता से प्रभावित नहीं होते तथा इसीलिये, यह व्यवस्था केवल बिक्री, क्रय तथा स्कंध पर आमतौर पर लागू किया जाता है। अंकेक्षक जांच तथा टैस्ट जांच द्वारा संतुष्ट होता है कि कट ऑफ प्रक्रियाएँ पर्याप्त रूप से पालन की गयी हैं तथा सुनि ित करती हैं कि :–

(i) माल खरीदा, सम्पत्ति जिसमें ग्राहक को पारित कर दिया है, वास्तव में स्कंध में शामिल की गयी हैं तथा कि साख क्रय की द ा में दायित्व प्रदान किया गया है।

(ii) बेचा गया माल स्कंध से बाहर रखा गया है तथा बिक्री के लिये साख को लिया गया है। यदि विक्रय का मूल्य प्राप्त किया जाना है, संबंधित पक्षकार को डेबिट किया गया है।

अंकेक्षक दस्तावेजों के एक नमूने की जांच कर सकता है, स्टोर के भीतर तथा बाहर स्कंध की चाल का साक्ष्य, कट ऑफ तिथि के तुरंत पहले तथा वाद की अवधि से संबंधित दस्तावेजों सहित तथा जांच करना कि क्या इन दस्तावेजों में प्रदर्शित स्कंध वित्तीय विवरणों में पूर्ण तथा सही प्रस्तुति के लिये स्कंध लेने के दौरान उचित रूप से शामिल किया गया है या बाहर निकाला गया है।

¼b½ y[kk o"kZ d vfre fnol ij izkIr pSd % यह काफी सामान्य है कि किसी भी चल रही व्यावसायिक इकाई में अनेक बार ग्राहकों से लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन चैक प्राप्त होते हैं। यह भी काफी संभावना है कि लेखांकन वर्ष के अंतिम दिन प्राप्त होने वाले चैक बैंक में जमा नहीं किये जा सकते। हालांकि सामान्य रूप से बोल रहा हूँ, यह उम्मीद है कि सभी चैक बैंक में प्रतिदिन जमा किये जाने चाहिये। लेकिन वहां एक संभावना है कि ऐसे चैक जो वि ोष रूप से देर के घंटों के दौरान प्राप्त होते हैं बैंक में जमा नहीं किये जा सकते। इसीलिये, यह सुनि ित करना काफी महत्वपूर्ण कि आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली प्रभावी है तथा ऐसे चैक किसी भी धोखाधड़ी से बचने के लिये ठीक ढंग से लिखे जाने चाहिये तथा कि वित्तीय विवरण सत्य तथा निष्पक्ष दृ य को प्रतिबिंबित करते हैं।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iiir&6% vdf{k.k rFkk vk'oklu

जहां तक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का संबंध है, यह सुनिचित किया जाना चाहिये कि ऐसे चैकों की सूची दो प्रतियों में तैयार की गयी है तथा इसकी एक प्रति व्यापार प्राप्यों के खाते को नियंत्रित करने वाले को भेजी गयी है तथा दूसरी प्रति प्राप्त किये गये चैकों के साथ खजांची को सौंपी गयी है। व्यक्ति, जो व्यापार प्राप्यों के खाते को नियंत्रित कर रहा है, को सुनिचित करना चाहिये कि संबंधित व्यापार प्राप्यों के खाते को जमा करने के द्वारा उचित लेखांकन प्रविष्टियां पारित की गयी हैं। हस्तथ चैकों का शेश वित्तीय विवरणों में रोकड़ तथा बैंक भोश के साथ खुलासा किया जाना चाहिये।

13. ¼a½ vkdfLed n;rk,¡ % 'प्रावधानों, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक सम्पत्तियों' पर लेखांकन मानक (AS) 29 'आकस्मिक देयता को संभावित दायित्व के रूप में परिभाशित करती है जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होती है तथा जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिचित भावी घटनाओं पूरी तरह उपक्रम के नियंत्रण में नहीं के घटने या नहीं घटने के द्वारा पुश्टि की जायेगी, या वर्तमान दायित्व के रूप में जो अतीत की घटनाओं से उत्पन्न होती है लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं है क्योंकि यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों को समाविश्ट कर संसाधनों का बहिर्वाह दायित्व स्थापित करने को आव यक है, या दायित्व की राि का एक वि वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

आकस्मिक दायित्वों की जमानत या सत्यापित करने को अंकेक्षक निम्नलिखित कदम उठा सकता है :

(i) कम्पनी की जानकारी में सभी आकस्मिक दायित्वों का पता लगाने को कम्पनी की कार्यवृत पुस्तक का निरीक्षण करना,
(ii) कम्पनी द्वारा किये गये अनुबंधों की जांच तथा उनसे निकलने वाले आकस्मिक दायित्वों की संभावना पता करना
(iii) रिपोर्ट नहीं किये गये आकस्मिक दायित्वों का पता लगाने को वकील के बिलों की छानबीन करना,
(iv) बट्टाकृत तथा परिपक्व नहीं बिलों के संबंध में बैंक के पत्रों की जांच करना।
(v) अन्य कम्पनियों या व्यक्तियों की ओर से गारंटी का पता लगाने को बैंक के पत्रों की जांच।
(vi) कम्पनी के विभिन्न कार्यात्मक अधिकारियों के साथ उनके संबंधित क्षेत्र में आकस्मिक देयता की संभावना के बारे में चर्चा करना।
(vii) प्रबंधन से एक प्रमाणपत्र करना कि सभी ज्ञात आकस्मिक देयताएँ खाते में भामिल कर ली गयी हैं तथा वे ठीक से खुलासा की गयी हैं।
(viii) सुनिचित करें कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III तथा, AS 29 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ तथा आकस्मिक सम्पत्ति' के अनुसार उचित प्रकटीकरण किया गया है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iiर&6% vkd{k.k rFkk vk'oklu

¼b½ i:"k.k ij eky Hkatuk %

(i) प्रेषिती द्वारा द र्ाये गये बेचे गये माल तथा हस्तस्थ माल के स्कंध की प्रस्तुत किये गये विक्रय खातों से सत्यापन करना।

(ii) हस्तस्थ माल के आंकड़ों की पिछले बिक्री खातों में वर्ष के दौरान प्रोफार्मा बीजक तथा प्राप्त किये गये बिक्री खातों के साथ दिये अनुसार समाधान करना। यदि कोई प्रेषक स्कंध वर्ष के प्रारंभ में प्रेषिती के हाथ में था, उसे समाशोधन में खाते में लेना चाहिये।

(iii) चिट्ठे के तिथि को प्रेषण कर रखे गये माल के लिये प्रेषिति से पुष्टि प्राप्त करना। प्रेषक तथा प्रेषिति के मध्य प्रेषण खाते को डेबिट तथा प्रेषिति खाते के क्रेडिट किये गये कमी ान तथा अन्य व्ययों की जांच को समझौते की भार्तों का सत्यापन करना। बिक्री खाते की भी तद्नुसार जांच की जानी चाहिये।

(iv) सुनि ित करें कि प्रेषिति के हाथ में माल की मात्रा का लागत जोड़ आनुपातिक अनावर्ती व्यय जैसे माल ढुलाई, बन्दरगाह देय रा ि, सीमा भाुल्क इत्यादि पर मूल्यांकित किया गया है जब तक कि मूल्य कम है। यदि भाुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य कम है, प्रेषिति के हाथ में स्कंध शुद्ध वसूलीयोग्य मूल्य पर मूल्यांकित किया जाना चाहिये। यह भी देखें कि मूल्यांकन में क्षतिग्रस्त तथा अप्रचलित सामान के लिये अनुज्ञा की गयी है।

(v) देखें कि प्रेषिति के हाथ में मालसाफ तौर पर स्कंध के तहत द र्ाया गया है।

¼c½ fcØh deh'ku 0;; %

(i) वर्ष के दौरान अधिकृत पक्षकारों द्वारा इसकी ओर से वर्ष के दौरान, वास्तव में हुए बिक्री लेनदेनों के संबंध में, यदि कोई हों, समझौतों का पता लगाना।

(ii) पार्टी जिसको कमीशन का भुगतान किया गया है द्वारा की गयी सेवाओं का पत्राचार के संदर्भ में साक्ष्य की जांच करना।

(iii) सुनि ित करना कि वास्तव में बिक्री हुई है तथा वही लाभ–हानि के विवरण से प्रभारित की गयी है।

(iv) कुल कारोबार के संदर्भ में पिछले वर्शों में किये गये व्यय की तुलना करें।

(v) आदाता के खाते को जमा करने या भुगतान के समय पर, जो भी पहले हो, कमीशन पर स्त्रोत पर के संबंध में प्रविश्टियों की जाँच करना।

(vi) सुनिश्चित करें कि भुगतान केवल चैक के माध्यम से किया गया है, यदि कर अंकेक्षण के वाक्य में वर्णित सीमा से अधिक है।

¼d½ cUnkcLrh ikfylh %

(i) वि ाि श्ट उद्दे य पता लगायें जिसके लिये बन्दोबस्ती पॉलिसी ली गयी है, उदाहरण के लिये ऋणपत्रों के विमोचन के लिये सिंकिंग फंड पॉलिसी, लीज का विमोचन या अन्य समान उद्दे य के लिये ली गयी पॉलिसियां इत्यादि।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) पॉलिसियों के नियमों तथा शर्तों का सत्यापन करें तथा पता लगायें कि ऐसी सभी शर्तें लागू है तथा पालन किया जा रहा है।

(iii) जांचना कि प्रीमियम को समय पर जमा कर दिया गया है तथा पॉलिसी लागू है।

(iv) जांच करना कि मदों के संबंध में, जिनके लिये पॉलिसी को लिया गया है, वित्तीय विवरणों में उचित खुलासा किया गया है।

14. ;k=k 0;;k dh okmfpx % "यात्रा व्ययों की वाउचिंग" करते समय निम्नलिखित कारकों पर विचार किया जाना चाहिये :

(i) सामान्यतः यात्रा व्यय कर्मचारियों को निदे ाकों या साझेदारों द्वारा अनुमोदित नियमों के अनुसार देय हैं। जहां कोई नियम मौजूद नहीं है, अंकेक्षक को सिफारि ा करनी चाहिये कि व्ययों को नियंत्रित करने के लिये इन्हें तैयार किया जाना है। टी.ए. नियमों की अनुपस्थिति में व्ययों को वास्तव में किये गये व्ययों के आधार पर प्रमाणित किया जाना चाहिये। व्ययों की सभी मदों के लिये वाउचर की मांग की जानी चाहिये सिवाय उनके जिनका स्वतंत्र सत्यापन करने में सक्षम हैं।

(ii) निदे ाकों द्वारा दावा किये गये यात्रा व्ययों के संबंध में अंकेक्षक को स्वयं को संतुष्ट करना चाहिये कि उनके द्वारा इनका व्यय व्यापार के हित में किया गया है तथा कि निदे ाक व्यापार से रा ि प्राप्त करने के हकदार थे।

(iii) यात्रा व्यय के लिये वाउचर सामान्य रूप से नीचे वर्णित सूचना को भ ामिल करते है :
   (1) रा ि का दावा करने वाले व्यक्ति का नाम तथा पद
   (2) यात्रा का विवरण
   (3) रेलवे या हवाई किराये की रा ि
   (4) प्रत्येक स्टे ान से आगमन तथा प्रस्थान की तिथि तथा समय के साथ बोर्डिंग या लॉजिंग या दैनिक भते की रा ि
   (5) दावा किये गये अन्य व्यय

(iv) यदि यात्रा हवाई मार्ग से की गयी है, हवाई टिकिट की प्रतिपर्ण वाउचर के साथ जोड़ी जानी चाहिये, इसका निरीक्षण किया जाना चाहिये। रेल या सड़क मार्ग से यात्रा के लिये, दावा की गयी किराये की रा ि की कुछ स्वतंत्र स्रोत से जांच की जानी चाहिये।

(v) बोर्डिंग तथ लॉजिंग व्ययों का विवरण तथा विराम भते की द ा में उसकी दरों का सत्यापन किया जाना चाहिये।

(vi) दावा किये गये विभिन्न व्ययों के संबंध में साक्ष्य आम तौर पर यात्रा भत्ता बिलों से नहीं जोड़े जाते। जहां तक रा ि उचित प्रतीत होती है, आमतौर पर प्र न नहीं किया जाता। यात्रा व्यय के लिये सभी वाउचर किसी एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा अधिकृत किये जाने चाहिये। विदेश यात्रा या किसी असाधारण यात्रा की द ा में, भुगतान करने से पूर्व, व्यय बोर्ड द्वारा मंजूर किया जाना चाहिये।

© The Institute of Chartered Accountants of India

(vii) यात्रा अग्रिम ले लिया है, यदि कोई हो, अंतिम बिल की प्राप्ति पर तय किये जाने चाहिये। वर्ष की समाप्ति पर, तय नहीं रा ि चिट्ठे में उचित रूप से द र्ायी जानी चाहिये।

(viii) जब तक कि नियमों में प्रावधान हो या उनका भुगतान अं ाधारियों के प्रस्ताव द्वारा अधिकृत किया गया है, बोर्ड बैठक में भाग लेने के लिये निदे ाक यात्रा व्यय को वसूल करने के हकदार नहीं है।

15. ¼a½ xj&ljdkjh dEiuh d igy vd{kd dh fu;fDr % कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (6) के अनुसार सरकारी कंपनी के अलावा, कम्पनी का प्रथम अंकेक्षक कम्पनी के पंजीकरण की तिथि से निदे ाक मण्डल द्वारा 30 दिनों के भीतर नियुक्त किया जाना चाहिये।

अंकेक्षक की नियुक्ति में बोर्ड की विफलता की द ा में, यह कम्पनी के सदस्यों को सूचित करेगा।

कम्पनी के सदस्य 90 दिनों के भीतर असाधारण आम बैठक में अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा। नियुक्त अंकेक्षक पहली आम बैठक की समाप्ति तक पद पर बना रहेगा।

¼b½ vd{kdk d fu;fer vkorZu l lcf/kr i:ko/kkuk dk ykx gkuk % कम्पनी अधिनियम की धारा 139(2) के तहत अंकेक्षक के नियमित आवर्तन से संबंधित प्रावधान सभी सूचीबद्ध कम्पनियों तथा कम्पनी (अंकेक्षण तथा अंकेक्षकों) नियम, 2014 के तहत निर्धारित अन्य वर्ग या कम्पनियों पर लागू होता है।

कम्पनियों (अंकेक्षण तथा अंकेक्षकों) नियम, 2014 में निर्धारित नियमों के अनुसार धारा 139(2) को लागू करने के लिये कम्पनियों के वर्ग का अर्थ एक व्यक्ति कम्पनियां या लघु कम्पनियों को छोड़कर कम्पनियों के निम्नलिखित वर्ग से हैं :

(i) 10 करोड़ रू. या अधिक चुकता अं ा पूंजी वाली सभी गैर–सूचीबद्ध कम्पनियां;

(ii) 20 करोड़ रू. या अधिक चुकता अं ा पूंजी वाली सभी निजी लिमिटेड कम्पनियां;,

(iii) उपरोक्त (i) तथा (ii) में वर्णित सीमा रेखा के नीचे की चुकता अं ा पूंजी वाली सभी कम्पनियां लेकिन वित्तीय संस्थाओं, बैंकों से सार्वजनिक ऋण या सार्वजनिक जमा की रा ि 50 करोड़ रू. या अधिक है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iij&6% vdk{k.k rFkk vk'oklu

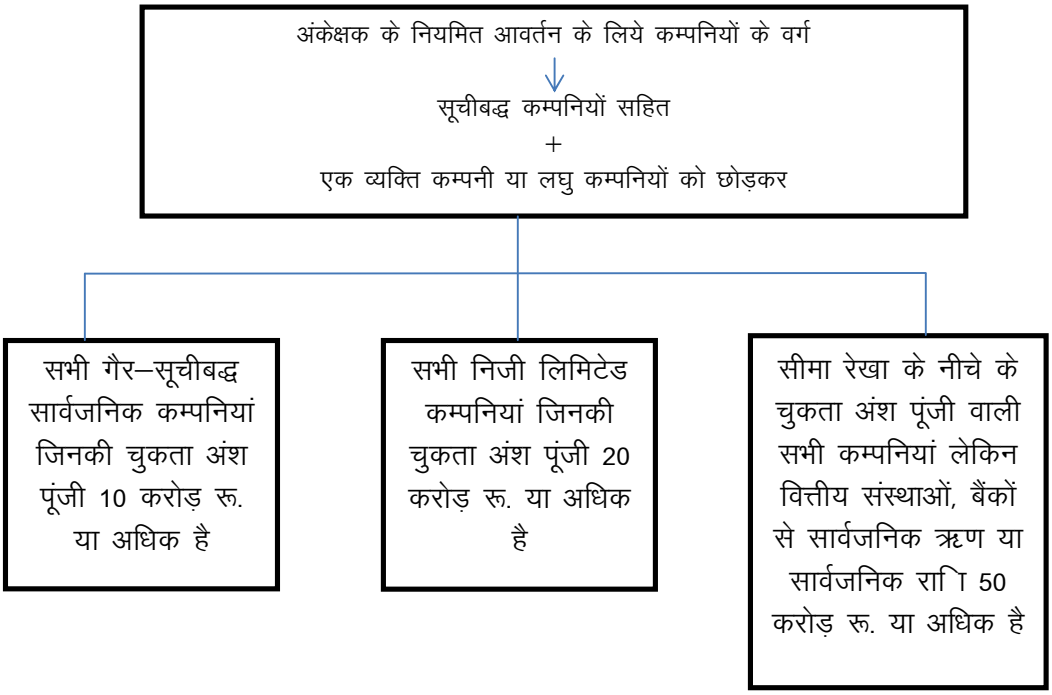

16. ¼a½ jk; dk l ' kk/ku % अंकेक्षक अंकेक्षण की रिपोर्ट में राय को सं ोधित करेगा जब :

(i) अंकेक्षक निष्कर्ष निकालता है कि प्राप्त किये गये अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, वित्तीय विवरण एक पूरे रूप में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त नहीं है।

(ii) अंकेक्षक निष्कर्ष निकालने को पर्याप्त उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ हैं कि वित्तीय विवरण एक पूरे रूप में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन से मुक्त हैं।

¼b½ jk; dk [kMu % अंकेक्षक राय का खंडन करेगा जब अंकेक्षक पर्याप्त उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ है जिस पर राय आधारित है, तथा अंकेक्षक निष्कर्ष निकालता है कि पता नहीं चल पाये मिथ्याकथनों का वित्तीय विवरणों पर संभावित प्रभाव, यदि कोई है, महत्वपूर्ण तथा व्यापक दोनों हो सकता है।

एक अंकेक्षक राय का खंडन करेगा जब कई अनि ितताओं से जुड़ी हुई अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, अंकेक्षक निष्कर्ष निकालता है कि इनके बावजूद भी प्रत्येक व्यक्तिगत अनि ितता के बारे में पर्याप्त उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किये हैं, अनि ितताओं की संभावित बातचीत तथा उनका वित्तीय विवरणों पर संचयी प्रभाव के कारण वित्तीय विवरणों पर राय बनाना संभव नहीं है।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iqjd&6% vads{k.k rFkk vk'oklu

¼c½ ifrdwy jk; % अंकेक्षक प्रतिकूल राय व्यक्त करेगा जब अंकेक्षक ने पर्याप्त उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किये हैं, निष्कर्ष निकला है कि मिथ्याकथनों व्यक्तिगत या समग्र में वित्तीय विवरणों को महत्वपूर्ण तथा व्यापक दोनों है।

¼d½ e;kfnr jk; % अंकेक्षक मर्यादित राय व्यक्त करेगा, जब :–

(i) अंकेक्षक ने पर्याप्त उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त किये हैं, निष्कर्ष निकाला है कि मिथ्याकथनों व्यक्तिगत या समग्र में वित्तीय विवरणों को महत्वपूर्ण हैं लेकिन व्यापक नहीं है।

(ii) अंकेक्षक पर्याप्त उचित अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ है जिस पर राय आधारित है, लेकिन अंकेक्षक निष्कर्ष निकालता है कि पता नहीं चल पाये मिथ्याकथनों का वित्तीय विवरणों पर संभावित प्रभाव, यदि कोई है, महत्वपूर्ण है लेकिन व्यापक नहीं।

17. ¼a½ lekfIr ls iwo vads{kd dk gVkuk % कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 140 की उपधारा (1) के अनुसार, धारा 139 के तहत नियुक्त अंकेक्षक को अपने पद से अपने कार्यालय की समाप्ति से पहले कम्पनी के विशेष प्रस्ताव द्वारा कम्पनी (अंकेक्षण तथा अंकेक्षक) नियम, 2014 के तहत नियम 7 के अनुसार उस संबंध में केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद हटाया जा सकता है :

(i) अंकेक्षक को हटाने के लिये केन्द्र सरकार को आवेदन फार्म एडीटी–2 में किया जायेगा तथा कम्पनी (पंजीकरण कार्यालय तथा शुल्क) नियम, 2014 के तहत इस उद्देश्य के लिये निर्धारित फीस सहित होगा।

(ii) बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव के 30 दिनों के भीतर केन्द्र सरकार को आवेदन करना होगा।

(iii) कम्पनी विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिये केन्द्र सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर सामान्य बैठक आयोजित करेगी।

यह ध्यान देगा महत्वपूर्ण है कि अवधि समाप्ति से पूर्व हटाने के लिये कोई कार्यवाही करने से पूर्व, संबंधित अंकेक्षक को सुनवाई का उचित अवसर दिया जायेगा।

तत्काल मामले में, कम्पनी द्वारा प्रथम अंकेक्षक उसकी अवधि समाप्ति से पूर्व केन्द्र सरकार की मंजूरी प्राप्त किये बिना हटाया गया था।

इसीलिये यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अवधि समाप्ति से पूर्व अंकेक्षक को हटाने की कम्पनी की कार्यवाही न्यायोचित नहीं है तथा अंकेक्षक को अपने पद से केवल ऊपर वर्णित प्रक्रिया का पालन करते हुए हटाया जा सकता है।

¼b½ cVVh ij vf'kk dk fuxeu % कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अनुसार, धारा 54 में वर्णित जारी किये गये स्वीट समता अंशों को छोड़कर, कम्पनी द्वारा बट्टाकृत मूल्य पर कोई भी अंश जारी करना व्यर्थ होगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

जहां एक कम्पनी इस धारा के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, कम्पनी जुर्माने के साथ दण्डनीय होगी जो एक लाख रूपये से कम नहीं होगा तथा जिसे पांच लाख रू. तक बढ़ाया जा सकता है तथा हर अधिकारी जो चूक में है, एक अवधि के लिये कारावास जो छः महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने जो एक लाख रू. से कम नहीं होगा लेकिन जिसे 5 लाख रू. तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

¼c½ vkdfLed fjfDr dk Hkjuk % कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(8) बताती है कि अंकेक्षक के कार्यालय में कोई भी आकस्मिक रिक्ति कम्पनी की द ा में कम्पनी के अलावा जिसके खाते भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण द्वारा नियुक्त अंकेक्षक द्वारा अंकेक्षण के अधीन हैं, तीस दिनों के भीतर निदे ाक मण्डल द्वारा भरी जायेगी। लेकिन इस तरह की आकस्मिक रिक्ति अंकेक्षक के त्यागपत्र के परिणाम के रूप में हैं, तो इस तरह की नियुक्ति भी बोर्ड की सिफारि ा पर तीन माह के भीतर बुलायी गयी आम बैठक में कम्पनी द्वारा अनुमोदित की जायेगी तथा वह अगली वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद बना रहेगा।

दिये गये मामले में, अंकेक्षक के कार्यालय में रिक्ति मृत्यु के कारण न कि त्यागपत्र के कारण हुई है, इसीलिये उपरोक्त प्रावधान लागू करने पर यह निदे ाक मण्डल द्वारा तीस दिनों के भीतर भरी जायेगी। कम्पनी के प्रबंध निदेशक द्वारा की गयी नियुक्ति वैध नहीं है।

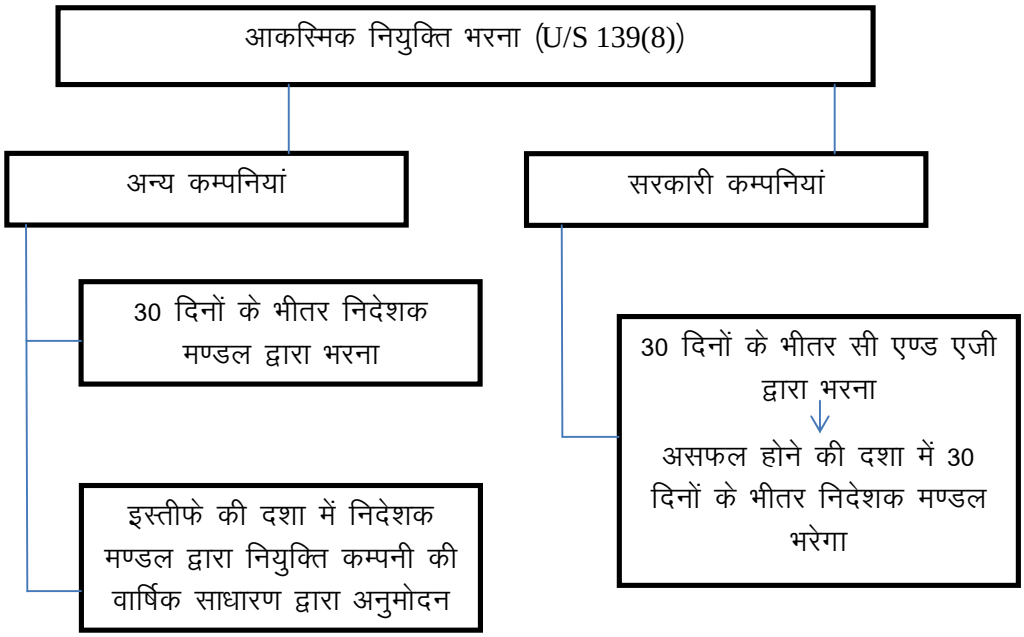

© The Institute of Chartered Accountants of India

iiij&6% vidf{k.k rFkk vk'oklu

18. ¼a½ lgk;d dEiuh dh _.kxLrrk % कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 141(3)(d)(ii) के अनुसार, एक व्यक्ति या उसका रिश्तेदार या साझेदार जो कम्पनी, या इसकी सहायक या धारित या सहयोगी कम्पनी या इसकी सहायक या धारित या सहयोगी कम्पनी या इसकी धारित कम्पनी की सहायक का 5,00,000 रू. से अधिक रा ि के लिये ऋणी है तो वह कम्पनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिये योग्य नहीं है।

जब एक अंकेक्षक उसके द्वारा अंकेक्षित कम्पनी या इसकी सहायक या इसकी धारित या सहयोगी कम्पनी या इसकी धारित कम्पनी की सहायक से वस्तुएँ या सेवायें क्रय करता है चाहे व्यापार की सामान्य कार्यप्रणाली में, वह कम्पनी का वास्तव में ऋणी है तथा यदि बकाया राशि 5,00,000 रू. से अधिक है, वह कम्पनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्ति के लिये अयोग्य है। ऐसी द ा में, वह कम्पनी का ऋणी हो जाता है तथा फलस्वरूप वह अपने कार्यालय से मुक्त माना जायेगा।

दिये गये मामले में, श्री एण्ड कं0 चार्टर्ड एकाउन्टेंट की एक फर्म को अराधना कम्पनी लि0 का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया था जहां कम्पनी सारंग कम्पनी लि0 में 51 प्रति ात अं ा धारित करती है। श्री एण्ड कम्पनी के एक साझेदार मि. श्री क्रय की गयी वस्तुओं के लिये नियुक्ति की तिथि को सारंग कम्पनी लि0 का 1,500 रू. का ऋणी था।

तद्नुरूप, साझेदार मि0 श्री कम्पनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने को अयोग्य नहीं है क्योंकि वह 5,00,000 रू. अधिक नहीं रा ि के लिये कम्पनी का ऋणी है।

इसके कारण, श्री एण्ड कं0 अराधना कम्पनी लि0 के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किये जाने के अयोग्य नहीं है।

¼b½ vidf{k.k lfefr dk xBu % कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के साथ कम्पनियां (बोर्ड की मीटिंग तथा इसकी शक्तियां) नियम, 2014 पढ़ें के अनुसार प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनियों तथा निम्नलिखित वर्ग की कम्पनियों द्वारा अंकेक्षण समिति गठित की जायेगी :

(i) दस करोड़ रू. या अधिक की चुकता पूंजी के साथ सार्वजनिक कम्पनियां
(ii) सौ करोड़ रू. या अधिक का कारोबार कर रही सभी सार्वजनिक कम्पनियां
(iii) पचास करोड़ रू. या अधिक के कुल मिलाकर बकाया ऋण या ऋण या ऋणपत्र जमाओं वाली सभी सार्वजनिक कम्पनियां

इसके अलावा, अंकेक्षक को अंकेक्षण समिति की बैठकों में सुने जाने का अधिकार है जब यह अंकेक्षक की रिपोर्ट पर विचार करती है लेकिन मतदान का अधिकार नहीं होगा।

¼c½ CARO] 2016 dk ykxw gksuk % यह कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के वाक्य (42) में परिभाषित विदे ी कम्पनी सहित प्रत्येक कम्पनी पर लागू होगा, सिवाय :

(i) बैंकिंग नियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के वाक्य (c) में परिभाषित एक बैंकिंग कम्पनी

© The Institute of Chartered Accountants of India

(ii) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के तहत परिभाषित एक बीमा कम्पनी,

(iii) कम्पनी अधिनियम की धारा 8 के तहत संचालित करने के लिये लाइसेंस प्राप्त कम्पनी,

(iv) कम्पनी अधिनियम की धारा 2 के वाक्य (62) के तहत परिभाषित एक व्यक्ति कम्पनी तथा कम्पनी अधिनियम की धारा 2 के वाक्य (85) के तहत परिभाषित एक लघु कम्पनी, तथा

(v) एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, एक सार्वजनिक कम्पनी की सहायक या धारित कम्पनी नहीं, चिट्ठा तिथि को चुकता पूंजी तथा संचय तथा अधि ोश एक करोड़ रू. से अधिक नहीं तथा वित्तीय वर्श के दौरान किसी बैंक या वित्तीय संस्थान से जिसकी कुल उधारी एक करोड़ रू. से अधिक नहीं तथा वित्तीय विवरणों के अनुसार वित्तीय वर्श के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 (परिचालन को बंद से राजस्व सहित) की अनुसूची III में प्रकट किया गया कुल राजस्व दस करोड़ रू. से अधिक नहीं होना चाहिये।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि CARO, 2016 सभी कम्पनियों पर लागू नहीं होता।

19. ¼a½ ljdkjh dEiuh d vid{k.k e fu;=d ,o egky[kk ijh{kd dh Hkfedk % नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (5), (6) तथा (7) के तहत निर्धारित है।

सरकारी कम्पनी की दशा में, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के तहत अंकेक्षक अर्थात् प्रथम अंकेक्षक या बाद के अंकेक्षक नियुक्ति करेगा तथा अंकेक्षक को निर्देश देगा जिसमें सरकारी कम्पनी के खातों को अंकेक्षित करने की आव यकता होती है तथा इसके बाद इस प्रकार नियुक्त अंकेक्षक अंकेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को प्रस्तुत करेगा जो, अन्य बातों के साथ नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्दे ाों, यदि कोई हैं, उस पर की गई कार्यवाही तथा इसका खातों एवं कम्पनी के वित्तीय विवरणों पर प्रभाव को भ्ामिल करेगा।

© The Institute of Chartered Accountants of India

iiij&6% vidk{k.k rFkk vk'oklu

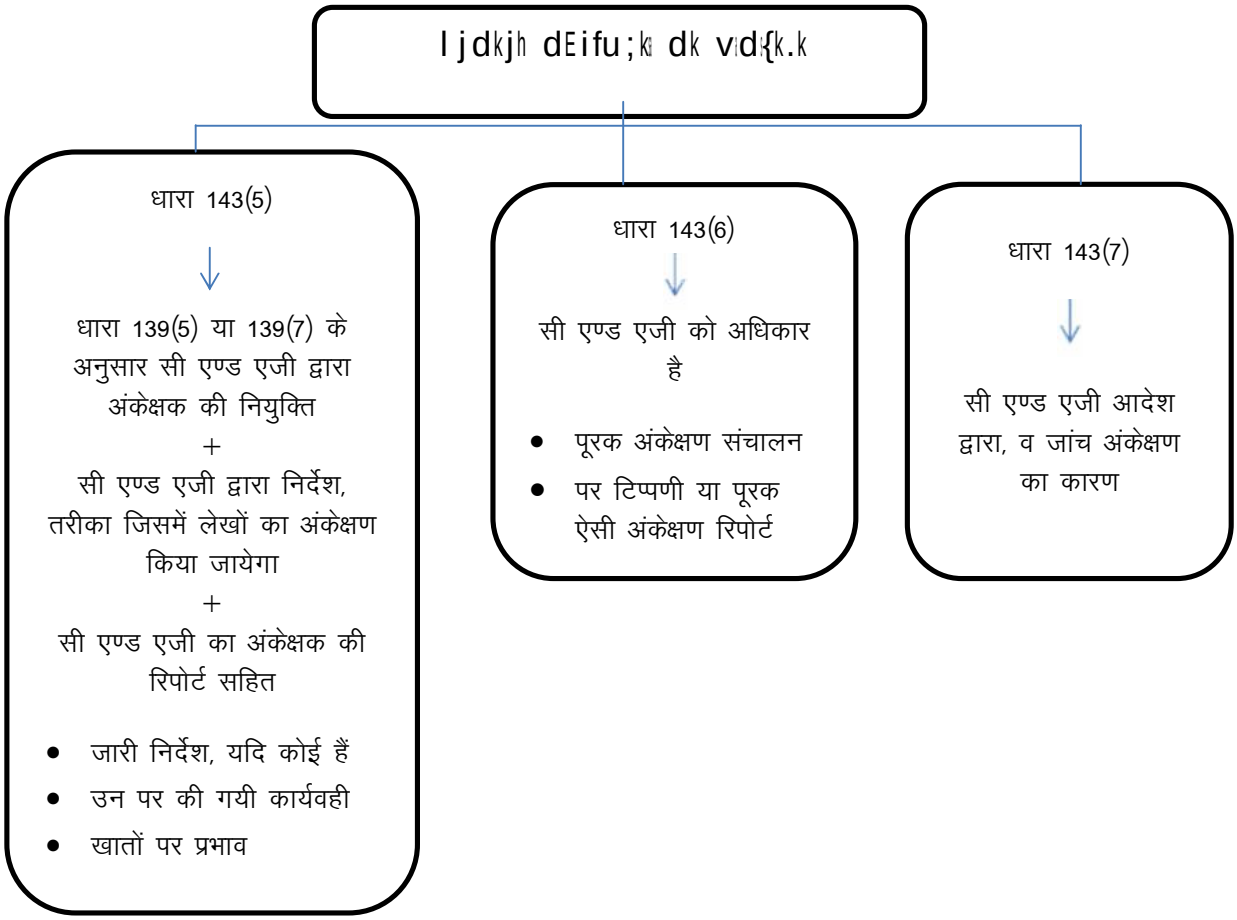

भारत का नियंत्रण तथा महालेखा परीक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अधिकार है :

(i) कम्पनी के वित्तीय विवरणों का ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों जो वह इस संबंध में प्राधिकृत कर सकता है द्वारा पूरक अंकेक्षण करना तथा ऐसे अंकेक्षण के उद्दे य के लिये, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रस्तुत की जाने वाली सूचना या अतिरिक्त सूचना की ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा तथा इस रूप से ऐसे मामलों पर आव यकता है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक निर्दे ा दे सकता है, तथा

(ii) bl rjg dh vidk{k.k fjikVZ ij fVIi.kh ;k ijk dju% यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा दी गयी टिप्पणी या पूरा करने पर अंकेक्षण रिपोर्ट कम्पनी द्वारा धारा 136 की उपधारा (1) के तहत अंकेक्षित वित्तीय विवरणों की प्रत्येक हकदार व्यक्ति को भेजी जायेंगी अर्थात् कम्पनी

© The Institute of Chartered Accountants of India

का प्रत्येक सदस्य, कम्पनी द्वारा जारी किसी भी ऋणपत्र के ऋणपत्रधारियों के लिये प्रत्येक ट्रस्टी को तथा इस तरह के किसी सदस्य या ट्रस्टी के अलावा सभी व्यक्तियों को जो हकदार हैं तथा कम्पनी की वार्षिक साधारण सभा के समक्ष अंकेक्षण रिपोर्ट की तरह उसी समय तथा उसी रूप में रखी जायेगी।

vidf{k.k tkp % इसके अलावा, अंकेक्षण तथा अंकेक्षक से संबंधित प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक धारा 139 की उपधारा (5) या उपधारा (7) के तहत भामिल किसी भी कम्पनी की द ा में, यदि वह आव यक समझे एक आदे ा द्वारा ऐसी कम्पनी के खातों की अंकेक्षण जांच करा सकते हैं तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19A के प्रावधान इस तरह की अंकेक्षण जांच की रिपोर्ट पर लागू होंगे।

¼b½ LVkl rFkk Ldzki dk vidf{k.k % स्टोर्स तथा स्कंध के लेखों का अंकेक्षण सी एण्ड एजी को सौंपे गये कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के संदर्भ में व्यय अंकेक्षण के एक भाग के रूप में विकसित किया गया है। अंकेक्षण यह पता लगाने के लिये आयोजित किया जाता है कि क्या क्रय, प्राप्ति तथा निर्गमन, निगरानी, बिक्री तथा स्टोर्स से स्कंध लेना को भासित विनियम ठीक प्रकार तैयार तथा उचित प्रकार पूरे किये गये हैं। उद्दे य स्टोर में रखी गयी मात्रा में कोई कमी या नियंत्रण की प्रणाली में कोई दोश को सरकार के ध्यान में लाना भी है। स्टोर के क्रय का अंकेक्षण व्यय के अंकेक्षण की तरह के तरीके से आयोजित किया जाता है, यथा कि ये ठीक से मंजूर किये गये हैं, किफायती बनाये गये हैं तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गए क्रय के लिये नियमों के अनुरूप है। अंकेक्षक को सुनि ित करना है कि कीमतों का भुगतान उचित हैं तथा स्टोर को आपूर्ति के लिये अनुबंध में दिखाये उनके साथ अनुबंध में हैं, तथा कि निरीक्षक तथा प्रापक इकाइयों द्वारा गुणवत्ता तथा मात्रा का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया गया है। स्टोर्स की गैर–मितव्ययी क्रय तथा स्टोर्स की दोशपूर्ण या निम्न गुणवता के कारण नुकसान के मामले वि ोश रूप से अंकेक्षण द्वारा लाये गये हैं प्राप्तियों, निर्गमन तथा भोश के लेखे धारित स्कंध के उपभोग के स्तर के लिये वि िाष्ट मापदण्डों के वि ोश संदर्भ के साथ स्कंध में सटीकता, भाुद्धता तथा भोशों की तर्क संगतता के बारे में जांच की गयी है। किसी भी अतिरिक्त या निश्क्रिय स्कंध का रिपोर्ट में वि ोश रूप से उल्लेख किया गया है तथा स्कंध का आवधिक सत्यापन भी अपना अस्तित्व सुनि ित करने के लिए आयोजित किया जाता है। जब कीमत खाते रखे गये हैं, अंकेक्षक को देखना चाहिये कि वसूल किये गये उचित हैं तथा समय समय पर समीक्षा की गयी है। स्कंध का मूल्यांकन ध्यानपूर्वक देखा गया है ताकि लेखा मूल्य भौतिक खातों से मिलान कर सकें तथा कि पुनर्मूल्यांकन के कारण, सूची लेने या अन्य कारणों के कारण लाभ या हानि का समायोजन किया गया।

20- vLirky dk vidf{k.k % एक धर्मार्थ संस्थान द्वारा चलाये जा रहे अस्पताल के आय तथा व्यय खाते का अंकेक्षण करते समय निम्नलिखित वि ोश बिंदुओं की जांच की जा सकती है –

© The Institute of Chartered Accountants of India

iiij&6% vdf{k.k rFkk vk'okluu

(i) बिलों की दूसरी प्रति के साथ रोगियों के रजिस्टर का सत्यापन, तथा रोगी प्रवे ा रिकॉर्ड को देखना कि सभी सेवाओं, जांचों तथा उपचारों के लिये बिल ठीक और सही ढंग से तैयार किये गये हैं।

(ii) जारी की गयी प्राप्तियों के अनुरेखण द्वारा रोगियों से संग्रहित रोकड़ की रोकड़ बही से जांच करना।

(iii) रोकड़ बही तथा बैंक पासबुक में ब्याज, किराया, लाभां ा इत्यादि की प्राप्ति की रसीद प्रतिपर्ण के साथ जांच करना तथा सुनि ित करना कि इस तरह की सभी आय ठीक प्रकार खाते में ली गयी है।

(iv) रोकड़ बही में चन्दा का संग्रह जारी रसीदों से दान, पत्राचार इत्यादि की जांच करना।

(v) सत्यापन करना कि सरकार तथा अन्य निकायों से सभी अनुदान ठीक प्रकार खातों में लिये गये हैं तथा निर्दिश्ट रूप से ढंग से लागू किया गया है।

(vi) आगम व्यय की आवृर्ती प्रकृति की आव यकता साक्ष्य जैसे बिल, अधिकार अवधि इत्यादि के साथ सत्यापित करना।

(vii) स्टोर्स की प्राप्ति तथा निर्गमन, दवाइयों, लिनन इत्यादि की आंतरिक जांच के संबंध में यह सुनि ित करने को जांच करना कि ये ठीक से दर्ज किये गये है तथा केवल उचित प्राधिकरण पर ही जारी/उपभोग किये गये है।

(viii) देखें कि मूल्यह्यस पिछले वर्श की विधि के रूप में तथा उचित दर पर सभी सम्पत्तियों के संबंध में ह्रासित किया गया है।

(ix) भोजन की आपूर्ति की प्राप्तियों तथा कैंटीन प्राप्तियों से सत्यापन करना तथा पिछले वर्श के रोगियों की संख्या के संबंध में तुलना करना।

(x) सुनि ित करना कि सभी बकाया देनदारियां पर्याप्त रूप से प्रदान की गयी हैं और इसी तरह सभी उपार्जित आय और प्राप्तियों को खातों में लिया गया है।

(xi) वर्श के अंत में स्टॉक तथा स्टोर्स का स्कंध प्राप्त करें तथा मदों का प्रति ात भौतिक रूप से जांच करें।

© The Institute of Chartered Accountants of India